अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

वर्ष-38, अंक-16, 1-15 अप्रैल, 2015

सत्य • अहिंसा • सत्याग्रह
सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
SARVA SEVA SANGH
(Akhil Bharat Sarvodaya Mandal)
Truth • Non-Violence • Satyagraha

महात्मा गांधी की हत्या के महिमामंडन के खिलाफ गांधीजनों का 'उपवास-सत्याग्रह'
25-26 मार्च, 2015, जंतर-मंतर, दिल्ली

गांधी की हत्या क्या सच, क्या झूठ पुनर्पाठ

क्या था नाथूराम गोडसे का सच ?

महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता ही रहेंगे

सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित
अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत
सत्य-अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश वाहक
वर्ष : 38, अंक : 16, 1-15 अप्रैल, 2015

संपादक
बिमल कुमार
मो. : 9235772595
कार्यकारी संपादक
अशोक मोती
मो. : 7488387174

संपादक मंडल
डॉ. रामजी सिंह
भवानी शंकर 'कुसुम'
बिमल कुमार
अशोक मोती

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ, साधना केन्द्र
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
Website : sssprakashan.com

शुल्क
मूल्य : पांच रुपये
वार्षिक : 100 रुपये
आजीवन : 1000 रुपये
खाता संख्या : 383502010004310
IFSC No. UBIN-0538353

विज्ञापन दर
पूरा पृष्ठ : 2000 रुपये
आधा पृष्ठ : 1000 रुपये
चौथाई पृष्ठ : 500 रुपये

इस अंक में...

1. गांधी की हत्या : क्या सच, क्या झूठ... 2
2. भूदान आंदोलन की विरासत... 3
3. क्या था नाथूराम गोडसे का सच... 4
4. महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता ही रहेंगे... 6
5. साम्प्रदायिक हिंसा 2014... 8
6. हमारा 'बावला' नारायण भाई देसाई... 11
7. नारायण देसाई : मृत्यु का सौन्दर्य... 13
8. विद्यालय : शिक्षा नहीं बीमारी का... 15
9. ईबोला विषाणु से नष्ट होती... 17
10. और अंततः दो शांतिदूतों का जाना... 18
11. कविता : बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं... 19
12. दो दिवसीय राष्ट्रीय उपवास सम्पन्न... 20

'सर्वोदय जगत' में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। उनके साथ सर्व सेवा संघ या संपादक मंडल का सहमत होना जरूरी नहीं है।

गतांक से आगे

गांधी की हत्या : क्या सच, क्या झूठ?

❑ चुनीभाई वैद्य

मुसलमानों के अतिशयोक्ति और टालमटूल करने वाले उत्तरों से गांधीजी को चोट पहुंची। गांधीजी ने उन्हें सख्त चेतावनी दी : 'आप अपने आपको धोखा न दीजिए। अगर मुसलमान पूरी तरह अपने दिलों को साफ नहीं कर लेंगे, तो मेरे यहां रहने से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा।'

दिसंबर, 1947 के अंतिम दिनों में एक प्रार्थना-प्रवचन में उन्होंने कहा :

''मैं मुस्लिम अल्पसंख्यकों से जोर देकर कहूंगा कि वे जहरीले वातावरण से ऊपर उठें और अपने आदर्श आचरण द्वारा यह सिद्ध कर दें कि भारतीय संघ में सम्मानपूर्ण जीवन बिताने का एकमात्र मार्ग यही है कि मन में कोई चोरी और दुराव-छिपाव न रखकर भारत का पूर्ण नागरिक बनकर रहा जाय।''

पाकिस्तान में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों से वे अत्यन्त व्यथित थे और भारत के मुसलमानों का इस हालत में क्या फर्ज है, इसकी ओर उनका ध्यान खींचते रहते थे।

''शहीद के साथ गांधीजी की बात चल ही रही थी कि स्थानीय मुसलमानों का एक दल गांधीजी से मिलने आया। गांधीजी ने उन्हें भी यही सलाह दी : अगर आप महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, तो आपको एक सार्वजनिक वक्तव्य द्वारा अपने विचार प्रकट करने चाहिए और साहस के साथ साफ शब्दों में कहना चाहिए कि यह पाकिस्तान के लिए शर्म और इस्लाम के लिए कलंक की बात है। मुसलमान मित्रों ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान का व्यवहार अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचारपूर्ण, अनैतिक और इस्लाम के विरुद्ध है, हमें वह पूरी तरह नापसंद है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पाकिस्तान के हाथ में है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ उचित व्यवहार करके वह भारतीय मुसलमानों की सुरक्षा को निश्चित बना दे। उन्होंने गांधीजी को वचन दिया कि वे एक वक्तव्य निकालेंगे और उसमें ये सब बातें शामिल कर लेंगे।''

11 जनवरी को कुछ राष्ट्रवादी मौलाना, जो भारत में ही रहना चाहते थे और जिन्होंने पाकिस्तान नहीं जाने का पक्का मन बना लिया था, गांधीजी से मिलने आये। उनका कहना था कि उनके साथ रहे रहे व्यवहार से वे तंग आ गये हैं। उन्होंने बतौर शिकायत कहा कि अगर यही हालत है तो आप (गांधीजी) उनको इंग्लैंड क्यों नहीं भेज देते? गांधीजी ने उनको उलाहना देते हुए कहा :

''आप अपने को राष्ट्रवादी मुसलमान कहते हैं और फिर भी ऐसी बातें करते हैं?' शाम को प्रार्थना-सभा में उन्होंने...कहा : पाकिस्तान के मुसलमान पागल हो गये हैं। अधिकांश हिन्दुओं और सिक्खों को उन्होंने बाहर निकाल दिया है। अगर भारतीय संघ के हिन्दू भी ऐसा ही करेंगे, तो इससे उन्हीं का नाश होगा।''

13 जनवरी को उपवास पर जाने से पहले उन्होंने कहा :

शेष पृष्ठ 7 पर ...

संपादकीय

भूदान आंदोलन की विरासत

भूदान आंदोलन किसी तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए नहीं था, न ही यह किसी वर्ग के हितों को पूरा करने के अभियान का हिस्सा था। अगर ऐसा हुआ, तो यह संयोग था। मूलतः भूदान आंदोलन एक नये अहिंसक समाज के निर्माण की शुरुआत मात्र था। भूमि, प्रकृति में उपलब्ध जीवन आधारों का प्रतिनिधित्व करती है। पूंजीवादी व्यवस्था ने श्रम व प्रकृति में उपलब्ध जीवन आधारों—दोनों को शोषण व दोहन का हिस्सा बना दिया। इससे उलट श्रम और प्रकृति दोनों एक-दूसरे का संवर्धन कैसे करें, यह बिन्दु नयी सभ्यता के केन्द्र में हो सकता है। प्रकृति से पोषण प्राप्त करें तथा प्रकृति का पोषण करें।

यह तभी सम्भव था, जब श्रम और भूमि (प्रकृति में उपलब्ध जीवन आधार) दोनों को सम्पत्ति के दायरे से बाहर रखा जाये। श्रम और भूमि दोनों को बाजार के दायरे से बाहर रखा जाये। इसी कारण भूदान आंदोलन के मूल में दो बातें थीं—एक तो श्रम को हर प्रकार के शोषण व दमन से मुक्त करना तथा दूसरे प्रकृति में उपलब्ध जीवन आधारों को 'सम्पत्ति' बनाने/मानने की व्यवस्था का विसर्जन।

ट्रस्टीशिप, स्वदेशी, शरीर-श्रम निष्ठा एवं ग्राम स्वराज्य—ये मूल्य ही भूदान आंदोलन के विभिन्न आयामों को प्रकट करते थे। भूदान आंदोलन को जो लोग भू-स्वामित्व के हस्तान्तरण के रूप में देखते हैं, उन्होंने भूदान आंदोलन का मर्म बिल्कुल नहीं समझा है।

प्रकृति का मालिक बनने का सपना मनुष्यों के एक छोटे समूह द्वारा देखा जाता रहा है। यह छोटा समूह, मनुष्यों का वही वर्ग है, जो अन्य मनुष्यों का भी मालिक और नियंता बनना चाहता है। और, इस काम के लिए यह वर्ग हिंसा की शक्ति और दण्डशक्ति को अपने हाथ में केन्द्रित कर लेना चाहता है। इस प्रकार सम्पत्ति के माध्यम से प्रकृति का मालिक बनने का दावा, श्रम का शोषण करने के लिए श्रम को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता का औचित्य तथा हिंसा-शक्ति, दण्ड-शक्ति का राजसत्ता के माध्यम से एकाधिकार कर उसका उपयोग करने की अपरिहार्यता का निरूपण—ये तीनों एक ही व्यापक प्रक्रिया, एक ही व्यापक योजना के अंग रहे हैं। भूदान आंदोलन इन तीनों प्रक्रियाओं का निषेध कर नये अहिंसक समाज के निर्माण की भूमि तैयार कर रहा था।

भूदान आंदोलन के इन लक्ष्यों को ध्यान में रखें, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि आज के संदर्भ में हम भूदान आंदोलन की विरासत को किस दिशा में बढ़ायें। पूंजीवादी बाजार के वैश्वीकरण के फलस्वरूप पूंजी के केन्द्रीकरण एवं बाजार के विस्तार की नीतियों का प्रभाव यह पड़ रहा है कि श्रम का शोषण एवं प्रकृति में उपलब्ध जीवन आधार के स्रोतों का दोहन अत्यन्त तीव्र हो गया है।

आज केवल कच्चा माल एवं निर्मित वस्तु ही व्यापक बाजार का हिस्सा नहीं है, बल्कि श्रम को भी बाजार का हिस्सा बना दिया गया है। श्रमिक अपने श्रम को बेचने वाला इकाई बन गया है। अगर श्रम मशीन से मिल सके तो उस मशीन के श्रम को खरीदा जायेगा। इस प्रकार मशीन श्रम को मनुष्य श्रम का प्रतिस्पर्धी बना दिया गया है। पहले मशीन—मनुष्य श्रम का सहयोगी हुआ करती थी तथा उत्पादक श्रम के अधीन हुआ करती थी। दूसरे इस बाजार ने प्रकृति में उपलब्ध जीवन स्रोतों से जुड़े समुदायों के श्रम की कीमत तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत बहुत कम रख दी। जैसे खेती में काम करने वाले श्रमिक की मजदूरी भी कम है तथा खेती में पैदा होने वाले उत्पादनों की कीमत भी कम है। इस प्रकार श्रम के शोषण की व्यवस्था परम्परागत समुदायों के श्रम मूल्य को न्यूनतम बनाये रखने के कारण ही सम्भव हो सकी है।

इससे संसाधनों के दोहन की प्रक्रिया को मदद मिली है। जो संसाधन (जल, जंगल, जमीन, खनिज आदि) किसान को, मछुआरों को या वनवासी को उनके श्रम का पर्याप्त मूल्य न दिला सके, उस संसाधन से परम्परागत उत्पादक श्रमिक को (अधिक मुआवजे का लालच देकर) विलग करना आसान हो गया है।

अतः भूदान आंदोलन की स्वाभाविक विरासत यह है कि वह एक व्यापक संघर्ष 'भूमि अधिग्रहण' के वर्तमान मानसिकता के खिलाफ होना चाहिए। आज का तथाकथित विकास बाजार के खेल पर निर्भर करता है। उद्योग के लिए जिन साधनों की जरूरत है, वे हैं—पूंजी, श्रम, प्राकृतिक संसाधन अर्थात जमीन। यानी उद्योगों के तीन स्वामी संयुक्त रूप से होंगे—जिनके पास पूंजी है, जिनके पास श्रम है तथा जिनके पास भूमि है। वो उद्योग लगाना है तो भूमि पर जिनका अधिकार था (चाहे वह सम्पत्ति के रूप में हो या परम्परागत उपभोग करने का अधिकार हो) उन सबका भी मालिकाना हक बनेगा उद्योग पर—वे विस्थापित नहीं होंगे। इसी प्रकार जिनका श्रम लगेगा उनका भी मालिकाना हक होगा उद्योग पर। और उद्योग ऐसे नहीं होंगे कि बाजार के माध्यम से कृषि एवं प्राकृतिक स्रोतों से जुड़े अन्य कर्मियों का शोषण करें। लेकिन यह सब ग्राम स्वराज्य एवं लोक स्वामित्व के बिना सम्भव नहीं होगा। एक ओर भूमि अधिग्रहण कानूनों के खिलाफ संघर्ष खड़ा करना होगा तथा दूसरी ओर लोक-श्रम स्वामित्व के अंतर्गत नये निर्माण के माध्यम से ग्राम स्वराज्य की ओर बढ़ना—यही काम भूदान आंदोलन की विरासत को बढ़ाने का काम होगा।

विमल कुमार

इतिहास

क्या था नाथूराम गोडसे का सच?

❑ के विक्रम राव

वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव का यह आलेख गांधी के हत्यारे के जीवन का एक आईना है जिसमें इस देश के हर एक व्यक्ति को गोडसे का असली चेहरा जरूर देख लेना चाहिए।

–कार्य. सं.

शहादत दिवस पर बापू से जुड़े असंख्य वृत्तान्त सहज ही याद आने लगते हैं। उन्हें दुहराने के बजाय गांधी-हत्या के अल्पज्ञात तथ्यों और कथ्यों को बताना और जताना राष्ट्रहित में होगा। पिछले दिनों हिन्दुओं के चंद स्वयंभू नायकों की भभकी और फुफकार पर गौर करना होगा। खासकर इसलिए कि समय बीतते किवदंतियां इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। झूठ की धूल सच को ढँक देती हैं।

भाजपा के उन्नाव से सांसद सच्चिदानंद हरि साक्षी ने हत्यारे गोडसे को देशभक्त करार दिया। पार्टी से चेतावनी मिलने पर बिना शर्त माफी माँग ली। ये साक्षी महाराज वही हैं, जो पिछले दशक में लोहिया की पुण्यतिथि पर मुलायम सिंह यादव से 'आजीवन साथ निभाने' का ऐलान कर फिर भाजपा की गोद में जा पड़े। इनके आश्रम में एक युवती के कत्ल (15 अप्रैल 2013) का आरोप लगा था। कथित आश्रम में वित्तीय घोटालों की चर्चा चली थी। मगर मोदी के बहाव में चेले, सांसद बन गये।

यहां मुख्य बात हत्यारों के गिरोह और उसके सरगना नाथूराम गोडसे की है। गोडसे का नाम गांधी से जुड़ गया है। आखिर कैसा, कौन और क्या था नाथूराम विनायक गोडसे? क्या वह चिन्तक था, ख्याति प्राप्त राजनेता था, हिन्दू महासभा का निर्वाचित पदाधिकारी था, स्वतंत्रता सेनानी था? सच्चाई यह है कि पुणे शहर के उसके पुराने मोहल्ले सदाशिव पेठ के बाहर उसे कोई जानता तक नहीं था, जबकि तब वह चालीस की आयु के समीप था।

नाथूराम स्कूल से भागा हुआ छात्र था। नूतन मराठी विद्यालय में मिडिल की परीक्षा में फेल हो जाने पर उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसका मराठी भाषा का ज्ञान बड़े निचले स्तर का था। अंग्रेजी का ज्ञान तो था ही नहीं। जीविका के लिए उसने सांगली शहर में दर्जी की दुकान खोली थी। उसके पहले वह बढ़ई का काम करता था। फलों का ठेला भी लगा चुका था। उसके पिता विनायक गोडसे डाकखाने में बाबू थे, मासिक आय पांच रुपये थी। नाथूराम अपने पिता का लाड़ला था, क्योंकि उसके पहले जन्मे सभी पुत्र मर गये थे। इसीलिए अंधविश्वास में माँ ने नाथूराम को बेटी की तरह पाला। नाक में नथ पहनाई, जिससे नाम नाथूराम पड़ गया। उसकी आदतें और हरकतें भी औरतों जैसी हो गयीं। नाथूराम के बाद तीन और पुत्र पैदा हुए थे, जिनमें गोपाल भी था, जो नाथूराम के साथ सह-अभियुक्त था।

नाथूराम की युवावस्था किसी खास घटना या विचार के लिए नहीं जानी जाती है। उस समय उसके हम उम्र लोग भारत में क्रांति का अलख जगा रहे थे। शहीद हो रहे थे। इस स्वाधीनता संग्राम की हलचल से नाथूराम को तनिक भी सरोकार नहीं था। अपने नगर पुणे में वह रोजी-रोटी के ही जुगाड़ में लगा रहता था। मई 1910 में जन्मे नाथूराम के जीवन की पहली खास घटना थी सितंबर 1944 की, जब हिन्दू महासभा नेता लक्ष्मण गणेश थते ने सेवाग्राम में धरना दिया था।

उस दौर में महात्मा गांधी भारत विभाजन रोकने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना से वार्ता करने मुम्बई जा रहे थे। चौंतीस वर्षीय अधेड़ नाथूराम उन प्रदर्शनीकारियों में शरीक था। खंजर लेकर गोडसे बापू पर वार करना चाहता था। उसे आश्रमवासियों ने पकड़ लिया था। तब हम सभी भाई-बहन सेवाग्राम में रहते थे। लखनऊ जेल से रिहा होकर हमारे पिता संपादक के. राम राव गांधीजी के साथ देश-विदेश के कई अंग्रेजी दैनिकों के विशेष संवाददाता थे। मैं पहली कक्षा का छात्र था। पिताजी बड़े विक्षिप्त से घर आये। गोडसे की हरकत बतायी।

गोडसे के जीवन की दूसरी घटना थी, एक वर्ष बाद जब ब्रिटिश वायसराय ने भारत की स्वतंत्रता पर चर्चा के लिए राजनेताओं को शिमला आमंत्रित किया था। तब नाथूराम पुणे की किसी अनजान पत्रिका के संवाददाता के रूप में वहां उपस्थित था। जो लोग नाथूराम गोडसे को प्रशंसा का पात्र समझते हैं, उन्हें खासकर याद रखना होगा कि गांधीजी की हत्या के बाद जब नाथूराम के पुणे आवास और मुम्बई के उसके मित्रों के घर पर छापा पड़े तो मारक अस्त्रों का भंडार पकड़ा गया था, जिसे उसने हैदराबाद के निजाम पर हमला करने के नाम पर बटोरा था। यह दीगर बात है कि इन असलहों का प्रायोग कभी नहीं किया गया।

मुम्बई और पुणे के व्यापारियों से अपने हिन्दू राष्ट्र संगठन के नाम पर नाथूराम ने अकूत धन वसूला था, जिसका कभी लेखा-जोखा तक नहीं दिया गया। बारीकी से परीक्षण करने पर निष्कर्ष यही निकलता है कि कतिपय हिन्दू उग्रवादियों द्वारा नाथूराम भाड़े पर रखा गया हत्यारा था। जेल में उसकी चिकित्सा रपटों से ज्ञात होता है कि उसका मस्तिष्क अधसीसी के रोग से ग्रस्त था। यह

अड़तीस वर्षीय बेरोजगार, अविवाहित और दिमागी बीमारी से ग्रस्त नाथूराम किसी रूप में मामूली मनःस्थिति वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। उसने गांधी की हत्या का पहला प्रयास 20 जनवरी, 1948 को किया था। उसके सह-अभियुक्त मदनलाल पाहवा से मिलकर नयी दिल्ली के बिड़ला भवन पर बम फेंका था, जहां गांधीजी प्रार्थना-सभा कर रहे थे। बम का निशाना चूक गया। पाहवा पकड़ा गया, मगर नाथूराम भागकर मुम्बई में छिप गया।

दस दिन बाद अपने अधूरे काम को पूरा करने वह दिल्ली आया। 30 जनवरी की संध्या की एक घटना से साबित होता है कि नाथूराम कितना धर्मनिष्ठ हिन्दू था! हत्या के लिए तीन गोलियां दागने के पहले, वह गांधीजी की राह रोक कर खड़ा हो गया था। पोती मनु ने नाथूराम को हटने के लिए आग्रह किया, क्योंकि गांधीजी को प्रार्थना के लिए देरी हो गयी थी।

इस धक्का-मुक्की में मनु के हाथ से पूजा वाली माला और आश्रम भजनावली जमीन पर गिर गयी। उसे रौंदता हुआ नाथूराम आगे बढ़ा, पिछली सदी का जघन्यतम अपराध करने।

जो लोग अब भी नाथूराम गोडसे के प्रति थोड़ी नरमी बरतते हैं उन्हें उस क्रूर हत्यारे के बारे में एक प्रमाणित तथ्य पर गौर करना चाहिए। गांधीजी को मारने के दो सप्ताह पूर्व नाथूराम ने अपने जीवन को काफी बड़ी राशि के लिए बीमा कंपनी से सुरक्षित करा लिया था। उसकी मौत के बाद उसके परिजन इस बीमा राशि से लाभान्वित होते। एक कथित 'मिशन' को लेकर चलने वाला व्यक्ति बीमा कंपनी से हरजाना कमाना चाहता था। नाथूराम ने जेल के भीतर सुविधाओं की मांग भी की थी, हालांकि उसे स्नातक और पर्याप्त शिक्षित न होने के कारण पंजाब जेल नियम संहिता के अनुसार साधारण कैदी की तरह रखा जाना था।

अपने मृत्यु दंड के निर्णय के खिलाफ नाथूराम ने लंदन की प्रिवी कांउसिल में अपील की थी जबकि भारत स्वाधीन हो चुका था। वह अपील 'कंगाल अधिनियम' के तहत दायर की गयी थी, जो निर्धन, असहाय अपराधी कानूनी मदद पाने के लिए इस्तेमाल करता है। जजों ने उसे, जाहिर है अस्वीकर कर दिया था। उसके भाई गोपाल गोडसे ने जेल में हर गांधी-जयंती में बढ़-चढ़कर शिरकत की, क्योंकि जेल नियम में ऐसा करने पर सजा की अवधि में छूट मिलती है। गोपाल पूरी सजा की अवधि के पहले ही रिहाई पा गया था।

नाथूराम गोडसे के साथ जिसे फाँसी दी गयी थी, वह था नारायण आप्टे, निकटतम मित्र और सहधर्मी। ब्रिटिश वायुसेना में नौकर आप्टे पहले गणित का अध्यापक था और एक ईसाई छात्रा मनोरमा सालवी को कुँवारी माँ बनाकर छोड़ गया। हालांकि उसकी पत्नी और विकलांग पुत्र भी थें शराब प्रेमी आप्टे की अदालती रपट के अनुसार, उसके जीवन की यादगार घटना थी 29 जनवरी, 1948 की रात, जो उसने पुरानी दिल्ली के वेश्यालय में गुजारी थी। अगली शाम को बापू की हत्या हुई।

तीसरा अभियुक्त विष्णु रामकृष्ण करकरे शस्त्रों का तस्कर था। अनाथालय में परवरिश पायी। चाय की दुकान खोली। गोडसे से हिन्दू महासभा के कार्यालय में परिचय हुआ। राष्ट्रवाद का दम भरने लगा। पुलिस की पकड़ से बच जाता अगर वह समीपस्थ पुर्तगाली उपनिवेश गोवा में घुसने में सफल हो जाता। भाग नहीं पाया। दिगंबर रामचंद्र वडगे, जो सरकारी गवाह बना और क्षमा पा गया, पुणे में शस्त्र-भंडार नामक दुकान चलाता था। नाटे साँवले, भैंगी दृष्टि वाले का सूत्रधार बताया था। पर पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सावरकर रिहा हो गये थे।

तब विभाजन और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध से भाग कर आये हिन्दू शरणार्थी हिन्दू उग्रवादियों के लिए बारूद बन रहे थें जनमत भी मुसलमानों के विरुद्ध था। बस चिनगारी लगाने वाला चाहिए था।

कुछ सिरफिरे लोग नाथूराम गोडसे को उच्चकोटि का चिन्तक, ऐतिहासिक मिशन वाला पुरुष और अदम्य नैतिक ऊर्जा वाला व्यक्ति बनाकर पेश करते हैं। उनके तर्क का आधार नाथूराम का वह दस-पृष्ठीय वक्तव्य है, जिसे उसने बड़े युक्तिसंगत, भावना भरे शब्दों में लिखकर अदालत में पढ़ा था कि उसने गांधीजी को क्यों मारा? इस बयान में गोडसे ने दो झूठ कहे थे।

पहला यह कि गांधीजी गोवध बंदी के विरुद्ध थे। इसका संदर्भ था जब भारतीय मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन का गांधीजी ने समर्थन किया था, ताकि तुर्की के खलीफा का सम्मान बना रहे तब मुस्लिम नेताओं ने प्रस्ताव रखा था कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति मुसलमानों से गोवध बंद करने की अपील करेगी। गांधीजी ने कहा कि ऐसी बात करना सौदेबाजी जैसी हो जायेगी। इसलिए खिलाफत आंदोलन की समाप्ति पर गोवध बंदी पर समझौता सम्भव है।

दूसरा झूठ गोडसे ने कहा था कि गांधीजी राष्ट्रभाषा के पक्षधर नहीं हैं। बापू ने ही भारत में अंग्रेजी हटाने और हिन्दी लाने का अभियान चलाया था। बैरिस्टर गांधी का मशहूर बयान था कि, *'दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।'*

फाँसी के दिन (15 नवंबर, 1949) अंबाला जेल का आंखों देखा हाल न्यायमूर्ति जीडी खोसला ने अपने संस्मरणों में लिखा है। गोडसे और आप्टे को उनके हाथ पीछे बांधकर फाँसी पर ले जाया गया तो गोडसे लड़खड़ा रहा था। गला रुंधा था। भयग्रस्त और विक्षिप्त दिखा। आप्टे पीछे चल रहा था। माथे पर शिकन थी। दोनों आक्रांत लग रहे थे। ऐसे थे ये दोनों हीरो इतिहास के।

k.vikramrao@gmail.com

सामयिकी

महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता ही रहेंगे

❑ न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर धर्माधिकारी

समाचार-पत्रों में ऐसी खबर छपी थी कि कुछ संगठन 30 जनवरी को यानी महात्मा गांधी निर्वाण दिवस जिसे 'शहीद दिवस' भी कहा जाता है, को नाथूराम गोडसे के कथित शौर्य के सम्मानार्थ 'शौर्य दिवस' के रूप में मनाना चाहते थे। स्पष्टतः ऐसी ही साम्प्रदायिक शक्तियां गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित करने के साथ उसकी मूर्ति लगाने का प्रयास कर रही हैं, जिस कारण देशभर के गांधीजन दिल्ली के राजघाट पर गांधी को नमन कर जंतर-मंतर पर 25-26 मार्च को दो दिवसीय उपवास और सत्याग्रह करने पर मजबूर हुए। स्पष्टतः हम मानते हैं कि इस तरह की मानसिकता का प्रत्युत्तर समाज अपनी सकारात्मक रचनात्मकता से ही दे सकता है। इस संकीर्ण मनोवृत्ति को सामने लाता न्यायमूर्ति का लाता महत्त्वपूर्ण लेख। **–का. सं.**

आजकल 'गोडसे' को राष्ट्रभक्त कहा जाने लगा है और गोडसे की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए हर बड़े शहर में जमीन की माँग हो रही है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि गांधीजी राष्ट्रपिता नहीं थे। यह बातें नयी नहीं हैं, लेकिन नये सिरे और नये तरीकों से उभर रही हैं, जो अपने आप में चिन्ता की बात है। हत्या का अधिकतम उदात्तीकरण करने की वृत्ति है? फिर बात चाहे महापुरुषों की प्रत्यक्ष हत्या की हो या उनके चरित्र हनन की। शताब्दी के महानतम मानव का चरित्र हनन सुनियोजित ढंग से चलने वाले षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है।

'गांधीवध' जैसे शब्द का उपयोग करने के पीछे यह मानसिकता है 'वध' तो दुर्जनों और राक्षसों का होता है और उसे सदकार्य माना जाता है। 'वध' शब्द के प्रति मैंने जब आपत्ति उठाई तब हिन्दुत्ववादियों ने मुझे शब्दकोश दिखाकर कहा कि खून, हत्या, वध ये तीनों शब्द समानार्थी हैं। शब्दकोश में केवल पर्यायवाची शब्द रहते हैं और कई बार शब्दों को सही, सटीक अर्थ उसे शब्द के प्रचलित अर्थ में ढूंढना पड़ता है। यदि ये तीनों समानार्थी है तो क्या 'प्रभु रामचन्द्र ने रावण का खून किया' अथवा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का खून किया, ऐसा कहना चलेगा या रुचेगा? गांधीजी की हत्या के लिए अंग्रेजी में असेसिनेशन शब्द का उपयोग हुआ था। उसका अंग्रेजी शब्कोश में अर्थ है 'विश्वासघातपूर्वक की गयी भीषण हत्या! धारणा है कि ऐसी हत्या द्वारा मनुष्य और विचार दोनों समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसलिए *बर्नार्ड शॉ* ने कहा है कि 'हत्या सेंसरशिप का अन्तिम मार्ग है' अर्थात् 'न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी'। नाथूराम गोडसे भी इसी वृत्ति का प्रतिनिधि था यानी वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विकृति थी। प्रसिद्ध दार्शनिक खलील जिब्रान ने कहा है *'संसार के महामानव के जीवन का अंत हुतात्मा के रूप में या आत्म बलिदान के रूप में हो ऐसा संकेत दिखता है' सुकरात, ईसा मसीह, अब्राहम लिंकन, जैसे अत्यन्त गरिमामय व्यक्तित्वों को भी मार डाला गया और उस समय आकाश जोर से अट्टाहास करने लगा, जिब्रान ने ऐसी कल्पना की है। जिब्रान कुछ वर्ष और जीवित रहते तो वह इस सूची में महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर किंग के नाम निश्चित ही समाविष्ट कर देते।*

धर्म, सम्प्रदाय तथा राजनैतिक प्रवाह के नाम पर हत्या करने को धर्मकृत्य कहा जाता है। इसी उपद्रवी शक्ति को राजनीतिक शक्ति माना जाता है। इसी से 'गांधीवध' शब्द प्रकट हुआ। गांधीजी की हत्या के बाद राजनीतिक हत्याओं की संख्या बढ़ी और अब तो वह राजनीतिक अस्त्र बन गयी है। जबकि यह तो 'लोकनीति' और 'कानून के राज' की ही हत्या है। गांधी जो 'राष्ट्रपिता' किसी गांधी भक्त ने नहीं बल्कि सुबाषचन्द्र बोस ने कहा था। उन्होंने उन्हें भारत पिता या हिन्दुस्तान का पिता भी नहीं कहा। कारण स्पष्ट है गांधी के उदय के पहले भारत एक भौगोलिक देश था।

उस दौरान भी संसार में सर्वत्र जातिवाद, धर्म और सम्प्रदाय की जयजयकार होते हुए, शस्त्रों और परमाणु बमों की भाषा सुनाई दे रही थी तथा सभी देश और मानव एक दूसरे को दुश्मन मानने में ही जीवन की सार्थकता मानते थे। इसके बावजूद उस महामानव ने आत्मविश्वासपूर्वक कहा था कि 'मुझे अपनी अहिंसा की शर्म नहीं लगती।' *उस व्यक्ति की हत्या का और हत्यारे का उदात्तीकरण करना या उन्हें 'राष्ट्रपिता' न कहना तो घोर पाप की श्रेणी में आना चाहिए। न्यूयार्क में गांधीजी की प्रतिमा स्थापित करने का सर्वाधिक विरोध इसी वृत्ति के भारतीयों ने ही किया था।* गांधीजी की मानवीय करुणा, आचरणमूल्य की शुद्धता, सत्यनिष्ठा, संकल्पशक्ति से मानवीय जीवन

समृद्ध करने वाला जीवन संदेश क्या केवल मुख से भजन गाने जितना ही है।

आश्चर्य यह है कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद भी उनके प्रति द्वेष समाप्त नहीं हो पा रहा है। असत्य पर आधारित प्रचार क्यों किया जाता है? याद रखिए गांधी की हत्या करने के पांच-छह बार जो प्रयास किए गए उनमें से तीन में नाथूराम गोडसे शामिल था। उस समय पाकिस्तान का या पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने का प्रश्न खड़ा ही नहीं हुआ था। गांधीजी को भी द्विराष्ट्रवाद मान्य नहीं था वे पाकिस्तान निर्माण के विरोधी थे। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने से गांधीजी के अनशन का कोई संबंध नहीं था, उनका अनशन (उपवास) 18 जनवरी, 1948 तक चला और 55 करोड़ रुपये तो 14 जनवरी को ही दे दिये गये थे, यानी राशि देने के बाद भी उपवास चल रहा था और वह वास्तव में शांति स्थापना के लिए था। फिर भी इस संबंध में आज तक झूठा प्रचार-प्रसार क्यों चलाया जा रहा है। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा।

*प्राण त्यागते समय **'हे राम'** का उच्चारण करने वाले महात्मा गांधी के हत्या का उदात्तीकरण करना वस्तुतः राम तत्त्व का ही खून करना है। पंडित नेहरू ने कहा भी था कि ''बहुसंख्यकों की धर्मान्धता अधिक घातक और पाशविक होती है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए।'' क्योंकि इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि दो धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते और पाकिस्तान भी तो यही चाहता है। जब बहुसंख्यकों की धर्मान्धता आक्रामक होते ही सारी सुव्यवस्था और राष्ट्रीय भावना खत्म हो जाती है, यह एक प्रकार से भारत और भारतीयता दोनों का खून है। इस तरह गांधी तो नहीं मिटेगा परंतु भारत की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल ही जाएगी।* ऐसे लोग राष्ट्रप्रेमी नहीं होते और वे द्वेष से अंधे बन जाते हैं। वे तो अब भारतीय हृदय और आत्मा को ही भूल चुके हैं। धर्मान्धता के अंधत्व से उनकी समस्त संवेदनाएं खत्म हो गयी हैं।

वे नहीं समझते कि विश्व से गांधी का नाम या विचार को पोंछकर मिटाया नहीं जा सकता। कुछ बीज ऐसे होते हैं, जो हृदय में और रग-रग में, रक्त में घुल-मिल जाते हैं। बाद में कितने ही भयंकर तूफानी बादल और आँधियां आयें, पत्ते और डालियां गिर जाएं, वे बीजांकुर मूल से उखड़कर गिर नहीं जाते। बीज तो हमेशा जीवंत ही रहते हैं और वर्षा होने पर तथा मौसम बदलने पर अंकुरित हो जाते हैं। उनमें नई-नई कौपलें फूटती हैं। फिर वृक्ष बनकर वह पुनः फैलता है। इसी प्रकार गांधी भारत के गरीब, गांव-देहात में रहने वालों के हृदयों में हाड़-मांस में बसा हुआ है और जाग रहा है। प्रहार करने वाले प्रहार करते ही रहेंगे पर गांधी का प्रभाव कम नहीं होगा। गांधी का चरित्र पुस्तक में नहीं है, वह हृदय पर उत्कीर्ण है क्योंकि गांधी का जीवन ही उनका संदेश था। नये सिरे से असत्य पर आधारित कलुषित व विकृत इतिहास लिखने की महत्त्वाकांक्षी लोग प्रयत्न करें फिर भी वे यथार्थ चरित्र और चारित्र्य को मिटा नहीं सकते। किन्तु सवाल यह है कि क्या तब तक सज्जन सोते रहेंगे? क्या दुर्जनों को ही सक्रिय होने देना है? अब्राहम लिंकन के कथनानुसार ''जब आवाज उठाने की और सृजन करने की आवश्यकता हो तब जो चुप्पी साध लेते हैं वे भीरू होते हैं और डरपोकों की ही प्रजा का निर्माण करते हैं।'' मार्टिन लूथर किंग ने भी कहा था कि ''दुर्जनों के बुरे कर्मों की अपेक्षा सज्जनों का मौन अधिक खतरनाक होता है।'' इसी को मौन समर्थन कहते हैं। इसी तरह सज्जनों की चुप्पी ही दुर्जनों की शक्ति है। इस मौन को तोड़ना होगा। गुजरात की एक कहावत है कि सज्जन एक दूसरे से मात्र श्मशान में ही मिलेंगे। सम्भवतः इस वजह से महात्मा गांधी की हत्या रोज ही होती रहेगी। ❑

पृष्ठ 2 का शेष ...

गांधी की हत्या : क्या सच, क्या झूठ

''यदि पाकिस्तान संसार के विविध धर्मों को मानने वाले लोगों के समान दरजे की और जान-माल की सुरक्षा की गारण्टी नहीं देगा और भारत उसकी नकल करेगा, तो दोनों का नाश निश्चित है। उस स्थिति में इस्लाम भारत और पाकिस्तान में ही मरेगा, परंतु संसार में नहीं मरेगा।''

उसी समय समाचार मिला कि पाकिस्तान से हिन्दू और सिख विस्थापितों को लेकर आने वाली ट्रेन पर हमला कर अनेक लोगों को जान से मार डाला गया। इससे अद्विग्न होकर सायंकालीन प्रार्थना-प्रवचन में गांधीजी ने कहा :

''ऐसी बातों को संघ कब तक सहन कर सकता है? अपने उपवास के बावजूद मैं कब तक हिन्दुओं और सिक्खों के धीरज पर भरोसा रख सकता हूं? पाकिस्तान वालों को अपनी ये हरकतें बन्द करनी होंगी। उन्हें यह प्रण करना होगा कि जब तक हिन्दू और सिक्ख पाकिस्तान लौट कर वहां सुरक्षित नहीं रह सकेंगे, तब तक वे चैन नहीं लेंगे।''

भारत और पाकिस्तान में जिन दिनों हिंसा का नग्न ताण्डव चल रहा था, उन दिनों महात्मा गांधी ने इस संदर्भ में बहुत कहा था। जिन्हें इस विषय में अधिक गहरायी से अध्ययन करना हो, उन्हें प्यारेलाल लिखित *'महात्मा गांधी : पुर्णाहुति'* पढ़नी चाहिए। इस ग्रंथ में किसी भी जिज्ञासु की बौद्धिक जिज्ञासा को समाधान देने के लिए पर्याप्त सामग्री है। इस युग के महानतम् पुरुष महात्मा गांधी के बारे में झूठ का लम्बा-चौड़ा जो जाल बुना गया है, इस ग्रंथ में प्रस्तुत किये तथ्य उसे भी चीर कर 'सत्य' को उजागर करते हैं। *गांधी का जज बनने की पात्रता हममें से किसमें है? लेकिन यदि हम 'जज' बनने का दुस्साहस करते ही हैं तो कम-से-कम 'सत्य' से मुख तो न मोड़ें... 'सत्य' जिसके लिए महात्मा गांधी जिये और अपनी कुर्बानी दी!* ❑

साम्प्रदायिकता

साम्प्रदायिक हिंसा 2014 : गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक व असम

❑ इरफान इंजीनियर

उपचुनाव में भारी अंतर से जीत सुनिश्चित करने के लिए साम्प्रदायिकता की आग को जारी रखना आवश्यक था। सितंबर में विहिप नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि गरबा में मुसलमान युवकों का स्वागत नहीं है। उन्होंने कहा कि गरबे में आने वाले मुस्लिम युवक, हिन्दू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं।

गुजरात

गुजरात में 2014 में 59 साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं, जिनमें 8 लोग मारे गये और 372 घायल हुए। मई में नरेन्द्र मोदी की आमचुनाव में बड़ोदा से विजय के बाद, अनेक नेताओं द्वारा भड़काऊ वक्तव्य दिये जा रहे थे। इन लोगों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। बड़ोदा में उपचुनाव होने थे क्योंकि नरेन्द्र मोदी ने इस लोकसभा क्षेत्र से इस्तीफा देकर, वाराणसी का सांसद बने रहने का निर्णय किया था। उपचुनाव में भारी अंतर से जीत सुनिश्चित करने के लिए साम्प्रदायिकता की आग को जारी रखना आवश्यक था। सितंबर में विहिप नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि गरबा में मुसलमान युवकों का स्वागत नहीं है। उन्होंने कहा कि गरबे में आने वाले मुस्लिम युवक, हिन्दू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। ये नेता इसे *लव जिहाद* बताते थे। भड़ूच जिले के विहिप अध्यक्ष विरल देसाई ने यह घोषणा की कि मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर गरबे का आयोजन किया जायेगा।

विहित व बजरंगदल के नेताओं द्वारा बिना किसी आधार के बार-बार मुसलमानों पर यह आरोप लगाने से कि वे गोवध कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ वातावरण बन गया। विहिप ने अहमदाबाद के साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील दरियापुर इलाके में गोवध के खिलाफ प्रदर्शन किया। दंगों से प्रभावित लोगों ने आरोप लगाया कि विहिप और पुलिसकर्मियों के बीच की सांठगांठ से हिंसा भड़की। पुलिसकर्मी, विहिप से जुड़े 'गोरक्षकों' को समय-समय पर सूचनाएं देते रहते थे, जिनके आधार पर झूठे आरोप लगाकर निर्दोष मुसलमानों के खिलाफ मनमानी और गैर-कानूनी कार्यवाहियां की जाती थीं। पुलिसकर्मियों और विहिप कार्यकर्ताओं ने नवसारी जिले के मुस्लिम बहुल ढाबेल गांव में छापा मारा और गोमांस बेचने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अकेले अहमदाबाद शहर में 62 'गोरक्षक दल' थे, जिनमें से हर एक के चार-पांच सदस्य थे। ये लोग शहर के प्रवेश बिन्दुओं पर डेरा जमा लेते थे और पुलिस के साथ समन्वय कर अपनी बेजा कार्यवाहियों को अंजाम देते थे।

25 मई को दो हिंसक गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद कई दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गयी। इस हिंसा में चार लोग घायल हुए। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब एक बारात निकलने के दौरान, दो अलग-अलग समुदायों के सदस्यों की कारों में भिड़ंत हो गयी।

बड़ोदा में 25 से 30 सितंबर तक साम्प्रदायिक हिंसा हुई। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब एक निजी ट्यूशन क्लास के हिन्दू मालिक ने एक मुस्लिम पवित्र स्थल का अपमान करते हुए एक फोटो, सोशल नेटवर्किंग साईट पर अपलोड कर दी। क्लास के मुस्लिम विद्यार्थियों ने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की। जब वे शिकायत कर लौट रहे थे तब एक छोटी-सी घटना के बाद उनमें और कुछ वकीलों में विवाद हो गया, जो जल्दी ही हिंसा में बदल गया। हिंसा, फतेहपुरा और हाथीखाना इलाकों में फैल गयी। पंजरीगर मोहल्ले में ट्यूशन क्लास की इमारत में तोड़फोड़ की गयी और दोनों समुदायों की ओर से पत्थरबाजी हुई। वाहनों को जला दिया गया और दुकानों को लूटा गया। 26 सितंबर को हिंसा और भड़क उठी और एक मुस्लिम को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। दस अन्य लोग भी घायल हुए।

26 नवंबर को सोमनाथ में शिव पुलिस चौकी के नजदीक, लगभग 8.30 बजे, हिंसा की शुरुआत हुई। झगड़ा दस रुपये के एक

नोट को लेकर प्रारम्भ हुआ, जिस पर एक मुसलमान और एक कोली दोनों अपना दावा जता रहे थे। बहसबाजी के बाद हाथापाई शुरू हो गयी और मुसलमान युवक के सिर पर किसी ने एक टिफिन बॉक्स दे मारा। इससे उसे चोट आयी और उसके सिर से खून बहने लगा। दोनों समुदायों के बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया और लड़ने वालों को अलग-अलग कर अपने-अपने घर भेज दिया। इसके करीब आधा घंटे बाद, शांतिनगर के कोली इकट्ठा हो गये और सड़क के उस पार बनी मुस्लिम बस्ती पर पत्थर फेंकने लगे। सड़क पर खड़ी कुछ मोटरसाइकिलों को भी जला दिया गया।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में सन् 2014 में साम्प्रदायिक हिंसा की 82 घटनाएं हुईं, जिनमें 12 लोग मारे गये और 165 घायल हुए। सन् 2014 में महाराष्ट्र, साम्प्रदायिक घटनाओं के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर रहा। अक्टूबर तक वहां कांग्रेस का शासन था और विधानसभा चुनाव के बाद, राज्य में भाजपा ने अपनी सरकार बनायी। घटनाएं छोटी-छोटी थीं परन्तु राज्य का कोई क्षेत्र इनसे अछूता नहीं रहा।

मुख्यतः यह हिंसा पश्चिमी महाराष्ट्र में केन्द्रित थी। सन् 2014 में राज्य में लोकसभा व विधानसभा दोनों ही चुनाव होने थे। एनडीए व यूपीए और यूपीए के अंदर कांग्रेस व एनसीपी के बीच मराठा मतों के लिए घमासान मचा हुआ था। मराठा, महाराष्ट्र की आबादी का लगभग 60 प्रतिशत है। यूपीए के समर्थक मुख्यतः मराठा, मुसलमान और महार थे। एनडीए ने ओबीसी व महारों के एक तबके को अपने पक्ष में कर लिया था और वह मराठाओं को अपने साथ लेने के लिए आक्रामक अभियान चला रही थी। मराठाओं को कांग्रेस से तोड़कर भाजपा के साथ लाने के लिए साम्प्रदायिकता का खुलकर इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने इस घोर साम्प्रदायिक अभियान का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे यह डर था कि इससे उसकी छवि मुस्लिम-समर्थक की बन जायेगी व वह हिन्दुओं के वोट खो देगी। पार्टी की सरकार ने उन हिन्दू राष्ट्रवादी संगठनों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जो मुसलमानों के विरुद्ध जहर उगल रहे थे और छोटे स्तर पर हिंसा भी भड़का रहे थे।

पुणे में मई की 31 तारीख को धनंजय देसाई नामक व्यक्ति के नेतृत्व में हिन्दू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं ने बसों में तोड़फोड़ और आग लगानी शुरू कर दी। हिंसा पर उतारू इस भीड़ ने दुकानों और मकानों पर पत्थर फेंके और कई दुकानों को लूटकर उनमें आग लगा दी। पुणे और उसके आसपास स्थित मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया। शहर के हुंडेवाणी इलाके में दो मदरसों और दो मस्जिदों पर हमला हुआ। आरोप यह था कि बालठाकरे और शिवाजी को अपमानित करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट किया गया है। लगभग 250 सरकारी बसों को नुकसान पहुंचा। नेशनल कान्फिडेरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स आर्गेनाजेशंस की एक रपट के अनुसार, फेसबुक पोस्ट ओर उसके बाद हुए दंगे—दोनों ही पूर्व नियोजित थे। लोनी में इस हिन्दुत्व संगठन के 35 हथियारबंद गुंडों ने, जो मोटर साइकिलों पर सवार थे, रोज बेकरी, बैंग्लोर बेकरी और महाराष्ट्र बेकरी में तोड़फोड़ की। इन तीनों के मालिक मुसलमान थे। रोज बेकरी से 35 हजार रुपये नकद लूट लिये गये।

पुलिस ने हमलावरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की और नतीजे में दो जून को उन्होंने और बड़ा हमला किया। काले पड़ेल, सैय्यद नगर व हादपसर बाजार में कई बेकरियों, दुकानों और होटलों में तोड़फोड़ की गयी और उनमें आग लगा दी गयी। बिस्कुट, केक आदि बनाने वाली मशीनों, फ्रीजरों, टेम्पों, कारों और साइकिलों को टुकड़े-टुकड़ कर जला दिया गया। होटल सहारा के पास स्थित दलित बौद्धों के मकानों पर भी हमला किया गया। नीला बड़ूकोंबे और मारूथी शिंदेबाबा, जो कि दलित हैं, ने कहा कि वे लगभग 50 सालों से उस इलाके में रह रहे हैं और पहली बार उन पर हमला हुआ है। कस्बापेठ में चार हिन्दू राष्ट्रवादी कार्यकर्ता, मुसलमान युवकों से हिंसक मुठभेड़ में घायल हो गये। ये लोग एक मस्जिद पर हमला करने आये थे और मुसलमान युवकों ने उनका विरोध किया। इस सिलसिले में छः मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया। हादपसर बाजार क्षेत्र में स्थित नलबंद मस्जिद पर पत्थर फेंके गये। अब्दुल कबीर की फलों की दुकान और अब्दुल रफीक बागवान के केले के गोदाम में आग लगा दी गयी। उरूली देवाची में जामा मस्जिद पर हमला हुआ। एक फ्रिज, पानी की टंकी और कुछ अन्य चीजें तोड़ गयीं। ये सभी हमले 9 से 11 बजे रात के बीच हुए। रात लगभग 9 बजे, 28 वर्षीय मोहसिन शेख नामक युवक, जो शोलापुर का रहने वाला था और आईटी इंजीनियर था, को पीट-पीटकर मार डाला गया। मोहसिन का एक मित्र, जो उसके साथ था, बच गया परंतु मोहसिन, जो कि अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, की एक अस्पताल में मौत हो गयी। दो अन्य मुस्लिम युवक एजाज, यूसुफ बागवान और अमीर शेख, जो कि वहां मौजूद थे, भी घायल हुए। पुणे के मुसलमान व्यापारियों और दुकानदारों को कुल मिलाकर लगभग 4.5 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ।

तेलंगाना

हैदराबाद के किशनगंज के सिक्ख छावनी क्षेत्र में 14 मई को सिक्खों के एक धार्मिक झंडे को कुछ अज्ञात लोगों ने जला दिया। इसके बाद लाठियों और तलवारों से

लैस सिक्खों ने मुसलमानों के घरों पर हमला किया। यह दूसरी बार था जब झंडे को जलाने के मुद्दे को लेकर हिंसा भड़की और सिक्खों ने मुसलमानों पर हमला किया। तीन मुसलमान मारे गये, जिनमें से दो छुरेबाजी और एक पुलिस की गोली से मारा गया। किशनबाग में लंबे अरसे से हिन्दू, मुसलमान और सिक्ख मिलजुल कर शांतिपूर्ण ढंग से रहते आये थे।

कर्नाटक

कर्नाटक में कुल मिलाकर 68 साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं, जिनमें 6 लोग मारे गये और 151 घायल हुए। बीजापुर से नरेन्द्र मोदी के शपथ लेने का जश्न मनाने के लिए 26 मई को पूर्व केन्द्रीय मंत्री बासवन्ना गौड़ा पाटिल के नेतृत्व में जुलूस निकाला जा रहा था। इसके दौरान हुई हिंसा में 12 लोग घायल हुए। कई लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध गुलाल लगा दिया गया। इसके बाद हुए विवाद में कई दुकानों और फुटपाथ पर धंधा करने वालों पर हमले हुए। लगभग एक लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गयी और 15 व्यक्ति घायल हुए।

असम

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के सोनवीजीत धड़े ने पिछले साल लगभग 100 लोगों की हत्याएं कीं, जिनमें बांग्लाभाषी मुसलमान और आदिवासी शामिल थे। केन्द्र व राज्य सरकारों ने इस हथियाबंद सेना को खत्म करने के लिए समुचित प्रयास नहीं किये हैं।

दो मई को नारायण गुरी, बकसा में 72 से 70 मकानों में आग लगा दी गयी। कुल मिलाकर 48 लोग मारे गये और 10 लापता हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बैकी नदी में कूद गये। उनके बच्चे नदी में बह गये और उनमें से कई को गोली मार दी गयी। इस हमले में जिन्दा बचे लोगों के अनुसार यह जनसंहार बोडो लिबरेशन टाईगर्स के पूर्व सदस्यों ने अंजाम दिया था। बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों को वनरक्षक नियुक्त किया गया है। इन्हें सरकारी तौर पर बंदूकें उपलब्ध करायी गयी हैं, जिनका इस्तेमाल इस हमले में किया गया। इस हमले के पीछे बोडो टेरिटोरियल कांउसिल के उपप्रमुख खंपा बोरगोयारी का हाथ बताया जाता है जो कि बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के वन विभाग के प्रभारी हैं।

अहिंसा की तालीम

अहिंसा के शिक्षण के लिए शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। अगर शस्त्र हों भी तो उन्हें फेंक देना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि अहिंसा सीखने से पहले हिंसा सीखनी चाहिए, उनकी बात तो ऐसी ही हुई जैसे यह कहना कि पापी ही पुण्यवान् बन सकता है।

जैसा हिंसा की तालीम में मारना सीखना जरूरी है, इसी तरह अहिंसा की तालीम में मरना सीखना पड़ता है। हिंसा में भय से मुक्ति नहीं मिलती, वह भय से बचने का इलाज ढूंढ़ने का प्रयत्न है, जब कि अहिंसा में भय को स्थान ही नहीं है। भयमुक्त होने के लिए अहिंसा के उपासक को उच्च कोटि की त्याग-वृत्ति विकसित करनी चाहिए। जमीन जाये, धन जाये, शरीर भी जाये, इसकी वह परवाह ही न करे! जिसने सब प्रकार के भयों को नहीं जीता वह पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। इसलिए अहिंसा के पुजारी को एक ईश्वर का ही भय होता है, दूसरे सब भयों को वह जीत लेता है। –गांधी

यह जनसंहार गैर-बोडो निवासियों को सबक सिखाने के लिए किया गया था क्योंकि उन्होंने अत्याचारी प्रशासन के खिलाफ मत दिया था।

इस हमले का कारण बना बोडो पीपुल्स फ्रंट के विधायक व असम के पूर्व कृषि मंत्री प्रमिला रानी ब्रम्ह का यह बयान कि मुसलमानों ने 16वीं लोकसभा के चुनाव में बोडो पीपुल्स फ्रंट के उम्मीदवार को वोट नहीं दिये। इसके पहले, हरभंगा मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस द्वारा मुसलमानों के खिलाफ की गई क्रूरतापूर्ण कार्यवाही से हमलावरों को प्रोत्साहन मिला। जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो पता चला कि गैर-बोडो मतों के कारण, 'सम्मिलित जनगोष्ठियां एक्यामंच' के नाभा उर्फ हीरा सरानिया ने प्रमिला रानी ब्रम्ह को बड़े अंतर से पराजित किया।

इसके बाद 23 दिसंबर को एनडीएफबी के सोनवीजीत धड़े के कार्यकर्ताओं ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 78 लोगों की जानें ले लीं। कुल मिलाकर 46 लोग सोनितपुर में मारे गये, 29 कोकराझार में और तीन चिरांग जिले में। आदिवासियों द्वारा जवाबी हमले में चार बोडो भी मारे गये। इस अंधाधुंध गोलीबारी में मारे जाने वालों में से अधिकांश ईसाई आदिवासी थे। उन पर हमला राज्य सरकार द्वारा इस हथियारबंद गिरोह के खिलाफ की गयी कार्यवाही का बदला लेने के लिए किया गया।

कोकराझार जिले के गुंसाई क्षेत्र के माणिकपुर और दीमापुर गांव में आदिवासियों ने कर्फ्यू के दौरान बदले की कार्यवाही करते हुए बोडो निवासियों के कई घरों में आग लगा दी। पुलिस द्वारा हमलावरों को तितरबितर करने के लिए गोली चलायी गयी, जिसमें तीन आदिवासी मारे गये। इनको मिलाकर, सोनितपुर जिले में हिंसा में मारे गये लोगों की संख्या 46 हो गयी। ❑

स्मृति-शेष

हमारा 'बावला' नारायण भाई देसाई

❑ न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर धर्माधिकारी

हमारा धर्माधिकारी परिवार सन् 1935 से बजाजवाड़ी वर्धा में रहने आया। उस समय बजाजवाड़ी मानो एक 'तीर्थक्षेत्र' था। भारतीय जीवन में जो-जोर दिव्यतत्त्व थे, कल्याणकारी भाव और पवित्रतायुक्त माधुर्य था, उनका अनोखा संगम बजाजवाड़ी में दिखायी देता था। ऐसा लगता था मानो आदर्श पुराण पुरुष ही आधुनिक रूप धारण कर वहां रहने आये थे। इनमें आत्मसमर्पण की प्रतिमूर्ति महादेव भाई देसाई, जिन्हें हम महादेव काका कहते थे, उनका परिवार भी बजाजवाड़ी में हमारे पड़ोस में ही नहीं बल्कि साथ में रहने आया था। अलग-अलग प्रांतों से आये हुए कार्यकर्ताओं के परिवार एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह वहां रहते थे। इसलिए बजाजवाड़ी को अर्न्तजातीय, अर्न्तप्रान्तीय, अर्न्तभाषीय तथा अर्न्तधर्मीय व्यापकत्व सहजता से प्राप्त हो गया था। अर्थात वर्धा गांधीजी की 'कर्मभूमि' थी। जीवन पारदर्शी और प्रांजल हो, उसमें किसी भी प्रकार की गुप्तता न हो, यही तो बापूजी की सिखावन थी। इसलिए बजाजवाड़ी का संपूर्ण वातावरण एक विलक्षण सुरभि और सुभगता से समृद्ध था। धर्माधिकारी परिवार और महादेव काका, दुर्गा काकी और नारायणभाई जिसे हम 'बावला' कहते थे, वे हमारे ही घर के आधे हिस्से में रहने आये थे।

हम लोग जहां रहते थे उस घर के भी दो हिस्से थे। एक टिन का पार्टिशन इस खूबी से खड़ा किया गया था कि आपसी संबंधों में कोई खलल भी न पड़े और इधर से रसोईघर में बना जायकेदार भोजन, पड़ोस में आसानी से पहुंच भी जाय। तब 'जो अकेला खाता है वह चोर' ऐसी चोरी की व्याख्या थी, इसलिए आपस में बांटकर खाये बगैर कोई रहता न था। चीजें बांटकर खाते हैं तो चीजों की मधुरता और भी बढ़ती है, ऐसी भावना थी। महादेवभाई के सुपुत्र नारायण भाई, जिसे हम बावला कहते थे—व्रतों से बंधा हुआ स्वतंत्र जीवन जीते थे। नारायण भाई का नियम था कि दिन में सिर्फ चार बार ही खाना। इसलिए इमली, अमरूद आदि पेड़ों से तोड़ने के बाद बिना खाये, वह अपनी जेब में रख लेते और तभी खाते जब खाने का समय होता था। जो अपने बर्ताव में संयमी और व्रतस्थ होता है वही मोह, माया और वासना से मुक्त होता है। इसलिए वह सभी अर्थों में मुक्त और स्वतंत्र होता है, ऐसा वे मानते थे। व्रत बंधन का नहीं, स्वतंत्रता का द्वार है। बिना व्रतबंधन के मनुष्य मोहासक्त हो सकता है। व्रतस्थ होना यानी मोह तथा व्यभिचार से मुक्त होना। ये महादेव भाई के परिवार के जीवन-मूल्य थे।

गांधी-विचारधारा की कई बातें हमारे जीवन में पूरी तौर पर उतरी नहीं थीं, जैसे 'नई तालीम' की कल्पना। हमें शायद वह ठीक समझ में ही नहीं आयी। हमारी शिक्षा-पद्धति के बारे में एक बड़ा अद्‌भुत अनुभव वर्धा में आया। नारायण भाई हमारे साथ ही हमारे स्कूल में पढ़ने आये। वर्धा आने के पहले वे अहमदाबाद में पांचवीं कक्षा में पढ़ते थे। वर्धा में उन्हें छठी कक्षा में प्रवेश दिया गया। स्कूल के पहले ही दिन उनका दम घुटने लगा। शिक्षक क्लास में आते ही लड़के उठकर खड़े हो गये। नारायणभाई के लिए यह नई बात थी। लड़कों के खड़े होने में उन्हें आदर के बजाय मानसिक गुलामगिरी की झलक दिखायी दी। स्कूल की छुट्टी बाद का वह पहला ही दिन था। शिक्षक भी अलग मूड में थे। उन्होंने पुरा एक घंटा गप्पे हांकने में और गपशप करने में बिता दिया। उनके मुंह से कुछ अपशब्द भी निकले। घंटा पूरा होने के बाद नारायण भाई ने उस शिक्षक को सिगरेट पीते हुए देखा। उस शिक्षक के वस्त्र भी खादी के नहीं थे। खादी स्वदेशी का और विदेशी माल के बहिष्कार का प्रतीक है, ऐसा संस्कार नारायण भाई के मन पर हुआ था। इसलिए घर आते ही उन्होंने यह जाहिर कर दिया कि अब वे उस स्कूल में पैर नहीं रखेंगे। सभी लोगों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं मानें। गांधीजी के कानों तक बात पहुंची। आर्यनायकम्‌जी ने अभी-अभी स्कूल का प्राचार्य पद संभाला था। उन्होंने भी गांधीजी से कहकर देखा कि वे स्कूल का वातावरण बदलना चाहते हैं, पर उन्हें थोड़ा समय चाहिए। लेकिन गांधीजी ने अंततः नारायणभाई का ही पक्ष लिया और आर्यनाकम् जी से कहा कि ऐसी शिक्षा-संस्था में जाने के लिए नारायण पर जबरदस्ती कैसे की जा सकती है? उसके बाद बावला की शिक्षा 'नई तालीम' पर आधारित शिक्षा-पद्धति के अनुसार होती रही। हम लोगों को लगता था कि बेचारे बावला को औपचारिक शिक्षा मिली नहीं। कोई उपाधि भी नहीं। उल्टे बावला को लगता था कि हम स्नातक बेचारे हैं, क्योंकि हमें वह जीवन-शिक्षा मिली नहीं, जो उन्होंने पायी है। अंततः राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब क्या है? यह सवाल आज भी खड़ा

है। शिक्षा से समस्याएं हल होंगी ऐसा लगता था, लेकिन हमारे देश में तो शिक्षा ही एक समस्या बन गयी है। 'साक्षरता' और 'सार्थकता' में का फर्क या भेद हम समझ ही नहीं पाये।

उसके बाद नारायण भाई बापूजी के गोद में पले, पढ़े और बढ़े, ऐसा कहा जाय तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांधीजी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय सेवाग्राम से प्रयाण किया और बाद में आजादी मिलने के बाद 'राष्ट्रपिता' की हत्या के कारण अंत हुआ। इसलिए वे सेवाग्राम कभी लौटे ही नहीं। इसी दरम्यान महादेव भाई की कारावास के अंतर्गत आगाखाँ पैलेस, पुणे में मृत्यु हुई और नारायण भाई भी दुर्गाकाकी के साथ वेडछी रहने चले गये। यह भी सबको ज्ञात है कि नारायण भाई की शादी ओडिसा की उत्तराबेन से हुई और उस शादी में भी गांधीजी स्वयं उपस्थित नहीं रहे, क्योंकि तब तक गांधीजी ने यह तय कर लिया था कि शादी का एक पक्ष 'हरिजन' नहीं होगा तो वे उस शादी में उपस्थित नहीं रहेंगे। इसलिए पुत्रवत नारायण को भी बापू के आशीर्वाद सिर्फ पत्र द्वारा ही प्राप्त हुए थे और नारायण भाई ने भी गांधीजी की उपस्थिति का आग्रह नहीं रखा। नहीं तो बापूजी के सामने यक्ष प्रश्न उपस्थित हो सकता था।

उसके बाद की नारायण भाई की जीवनी खुली किताब है, जो सभी जानते हैं। नारायण भाई देसाई गुजरात के वेडछी गांव में 'संपूर्ण क्रांति विद्यालय' के संचालक थे। वे जयप्रकाशजी के साथ नवनिर्माण आंदोलन में रहे। शांति-सेना का काम भी उन्होंने किया। वे आचार्य विनोबाजी के भूदान आंदोलन में थे और अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ के भी अध्यक्ष रहे। उनके बारे में अधिक विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं। क्योंकि उनकी खुद पर लिखी 'बापू की गोद में' तथा महादेवभाई की जीवनी', 'अग्निकुंड मा उगेलू गुलाब' ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन किताबों से उनके जीवन और जीवन-दर्शन की पूरी कल्पना आ सकती है। बापूजी पर चार जिल्दों में 'मारी वाणी एज मारो जीवन' नाम से उनकी महत्त्वपूर्ण कृति प्रकाशित हुई है। इस कृति के लिए नारायण भाई को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, जिससे उन पुरस्कारों की महत्ता बढ़ी। नारायण भाई की 'गांधी कथा' ने तो संपूर्ण भारत में हलचल मचा दी थी। वे अंत तक गांधी विचार के अदभुत और स्वयंभू स्तंभ थे। उनके जाने से समाज का, गांधी विचारधारा का या देश का कितना नुकसान हुआ, यह सभी जानते हैं। इसलिए मैं उसके बारे में कुछ भी कहना या लिखना नहीं चाहता। लेकिन उनके जाने से मेरी जो व्यक्तिगत हानि हुई, वह सहना मेरे लिए मुश्किल है। अब तो मुझे 'चंदू' इस घरेलू नाम से संबोधित करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं बचा। वैसे तो हमारे धर्माधिकारी परिवार में मैं सबसे छोटा था। बाद में परिवार में जो 'वजाबाकी' यानी कटौती हुई, उसके कारण आज मैं संपूर्ण धर्माधिकारी परिवार में सबसे 'ज्येष्ठ' हूं। और यह बड़प्पन कि मानसिकता कितनी दुख भरी या वेदनामयी होती है, इसका अंदाजा दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। उस 'आपबीती' को समझाना या समझना बहुत कठिन है। नारायण भाई मेरे से करीब तीन साल बड़े थे। उनका स्थान मेरे निजी जीवन में बड़े भाई का ही था। हम दोनों गांधीजी के आशीर्वाद से स्थापित 'घनचक्कर' समाज के सदस्य थे। और 'घन' यानी 'ठोस' और 'चक्कर' यानी गतिशील यही उस शब्द की व्याख्या थी। और वैसा ही नारायण भाई का जीवन था। उनकी मृत्यु से एक युग का अंत हुआ।

लेकिन नारायण भाई अपने हृदय में अपने साथ एक वेदना लेकर गये, जिसका उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है। सभी जानते हैं कि *नारायण भाई गुजरात विद्यापीठ के कुलपति थे। 2014 के गुजरात विद्यापीठ के दीक्षान्त समारोह में उन्हीं के आग्रह पर मैं प्रमुख अतिथि रूप में उपस्थित था। दीक्षांत समारोह के बाद नारायण भाई ने मुझे और विद्यापीठ के कुलगुरु सुदर्शनजी को, एक कमरे में बुलाकर चर्चा की। उनकी वेदना का विषय था गांधी विचार पर आधारित सारी सर्वोदयी संस्था, एक लाख एक मंच पर कैसे आ सकेगी? और साथ-साथ पारस्परिकता रखकर कैसे कार्य कर सकेंगी। उन्हें लगा था कि मैं इस दिशा में कुछ कर सकूंगा। मैंने जब मेरी असमर्थता व्यक्त की, तो उनकी आंखों में से अश्रु बहने लगे। हम उनकी वेदना न जान सके और न समझ सके। लेकिन वह वेदना तो उनके मृत्यु के समय भी कायम ही रही।*

महादेव भाई की जीवनी लिखने के तथा उनकी डायरी संपादन का कार्य जब चल रहा था, तब नवजीवन ट्रस्ट में निर्माण हुए विवाद के बारे में किसी ने गांधीजी के पास शिकायत की थी। तब बापू के उद्‌गार थे—''जहां देखता हूं, वहीं जैसे यादव आपस में कट मरे, वही स्थिति हमारी है। हम लोग आपस में झगड़ा कर समाज की कितनी हानि कर रहे हैं, इसका खयाल किसी को भी नहीं आता। इसमें आप या और कोई कर ही क्या सकता है? इन सबमें मेरी ही खामी है। ईश्वर ने मुझे अंधा बना दिया हो, तो कोई क्या कर सकता है। फिर भी अपने जीते जी यह सब अपनी आंखों से देखकर जितना सुधार सकूं उतना सुधार लूंगा, जिससे भावी पीढ़ी को गाली न खानी पड़े, इतना ही भगवान का आभार चाहिए।'' ऐसा ही आचार्य कृपलानी जो घनचक्कर समाज की स्थापना के समय उपस्थित थे, उन्होंने भी कहा था। आचार्य कृपलानी जी के अनुसार ''गांधी वाले आग्रह और दुराग्रह के कारण आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते।

इसी कारण उनमें पारस्परिकता का अभाव है। *पारस्परिकता में कई बार अपने साथी के पाप को अपना पाप मानना पड़ता है। महत्त्वाकांक्षा और अहंकार त्यागना पड़ता है। सेवा का भी अहंकार तजना होता है। मुझमें अहंकार नहीं है, इस अहंकार को भी त्यागना होता है। अपनी मर्यादा का भान रखना होता है। आग्रह में भी विवेक आवश्यक होता है। आपस में इतना प्रेम और स्नेह जरूरी होता है कि अहंकार का लेश भी न रहे। इस दृष्टि से लगता है कि अन्य संस्थाओं की तरह सर्वोदयी संस्थाओं में भी कुछ खामियां हैं।'' नारायण भाई की वेदना भी यही थी कि इन खामियों का अहसास भी इन संस्थाओं के पदाधिकारियों को नहीं है। जो हम समझ नहीं पाये और उन्होंने उसी वेदना के साथ दुनिया से विदाई ली। अगर उनकी वेदना को हम समझकर हमारी संस्थाओं की खामियां दूर कर पारस्परिकता और स्नेह संवर्धित कर सकेंगे, तो वही नारायण भाई को असली आदरांजलि होगी।*

नारायण भाई की मृत्यु के बाद भी उनके परिवार द्वारा एक शुभदर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। नारायण भाई को भारत के प्रधानमंत्री तथा गुजरात की मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार शासकीय मानवंदना के साथ सम्पन्न हुआ। लेकिन उनकी सुपुत्री उमा, सुपुत्र नचिकेत तथा अफलातून ने पुलिसवालों को नारायण भाई को बंदूक की सलामी देने से मना किया। अणुशक्ति और हिंसा तथा 'बंदूक शक्ति' के खिलाफ उम्र भर लड़ने वाले नारायण भाई के जीवन मूल्य तथा अस्मिता का उन्होंने रक्षण किया। वही उन्हें उनके पिता नारायण भाई से मिली सही और अनमोल विरासत थी। और वह हमारी भी विरासत बनेगी तभी तो नारायण भाई को हम सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। और उस शांतिदूत के आत्मा को शांति मिलेगी। *शेषम्-स्नेहेन् -पुरयेत।* ❑

श्रद्धांजलि

नारायण देसाई : मृत्यु का सौन्दर्य

❑ चिन्मय मिश्र

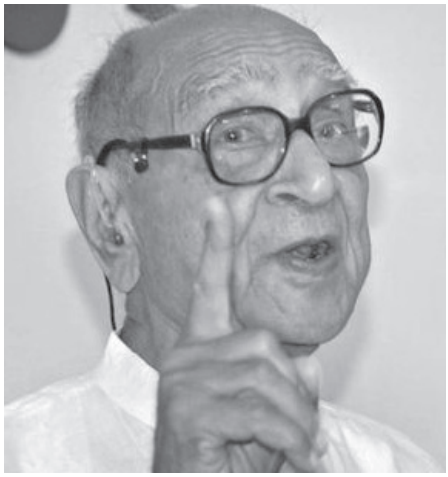

''हिंसा जितनी प्रकट होती है, उससे अधिक वह अप्रकट होती है। ध्रुव क्षेत्रों में पाये जाने वाली हिमशिलाओं की तरह हिंसा भी सतह से ऊपर कम दिखती है, जबकि अप्रकट हिंसा सतह से नीचे उससे कई गुना अधिक निहित होती है। **–नारायण भाई देसाई**

नारायण भाई के महाप्रयाण ने पिछली एक शताब्दी की कालवधि पर पुनरावलोकन करने को सिर्फ प्रेरित ही नहीं बल्कि बाध्य भी कर दिया है। वे असाधारण व्यक्तित्व के धनी होने के साथ ही असाधारण रूप से बदलते कालक्रम के जीवंत हस्ताक्षर भी रहे हैं। उनके बचपन व किशोरावस्था को बापू की संगत मिली और गृहस्थाश्रम में प्रवेश के दौरान घटी एक घटना ने संभवतः उन्हें पूरे जीवन अपने सिद्धांतों पर अडिग बने रहने का मनोबल भी प्रदान किया। हम सभी जानते हैं महादेव भाई गांधीजी के पुत्रवत थे एवं इस रिश्ते से नारायण भाई उनके पौत्र हुए। महादेव भाई के निधन के बाद माताजी ने नारायण भाई की शादी में बापू को आमंत्रित किया था। नारायण भाई अपनी मर्जी से उच्चजाति में विवाह कर रहे थे और उस दौरान बापू सिर्फ उन विवाह समारोहों में जाते थे जिनमें एक पक्ष दलित हो। ऐसे में उन्होंने लिखा था, ''मुझे दुख है मैं बावला (नारायण देसाई) के विवाह में सशरीर उपस्थित होकर वर-वधु को आशीर्वाद नहीं दे सकूंगा पर मेरा आशीर्वाद समय पर पहुंचेगा।'' विवाह के समय पहुंचे पत्र में बापू ने लिखा था, ''महादेव मेरे बेटे की तरह था, पर मैं उस रूप में अपना दायित्व नहीं निभा पाया।'' यह प्रकरण गांधीजी की प्रतिबद्धता और वचनबद्धता का पर्याय तो है ही लेकिन यह भी समझा देता है कि आदर्श की वेदी पर संबंध हावी नहीं हो सकते।

वहीं दूसरी घटना या स्थिति नारायण भाई के माध्यम से हमें अनूठा संदेश व प्रेरणा पहुंचाती है। संपूर्ण क्रांति विद्यालय की स्थापना से लेकर गुजरात विद्यापीठ के कुलधिपति तक की उनकी यात्रा कोई अनायास दैवीय चमत्कार नहीं था। शिक्षा को लेकर उनका मनन, चिन्तन, लेखन व संवाद, इस यात्रा में उनके सहायक रहे हैं। अनेक भाषाओं में उनकी महारत और परमाणु ऊर्जा जैसे विज्ञान के जटिल विषय पर उनका लेखन व विचार हमें समझा देते हैं कि बौद्धिक विकास की प्रत्येक संभावना मनुष्य के अंदर मौजूद रहती है। इस अर्थ में वे कबीर, नानक, मीरा और रैदास जैसे संत-कवियों की शृंखला को आगे बढ़ाते नजर आते हैं।

पिछले ही वर्ष इन्दौर के नजदीक स्थित कस्तूरबाग्राम में उनसे भेंट हुई थी। सप्रेस बुलेटिन और उसमें छपे मेरे आलेख उन्हें आकर्षित करते थे और इसी वजह से उन्होंने मिलने को बुलाया था। अपना सौभाग्य मान जब मैं वहां पहुंचा, तो उनसे मिलने के पहले

मन में जो व्याकुलता, डर व असहजता थी, उनकी पहली झलक और आंख मिलने के साथ ही कहीं विसर्जित हो गयी। वे कस्तूरबाग्राम में गांधी कथा बांचने आये थे, परंतु इसके आयोजन की खामियों से बेहद नाराज भी थे। लंबी चर्चा के दौरान उन्होंने बापू के सान्निध्य, देश की आजादी से उम्मीदें, विनोबा, भूदान का दर्शन और उसमें उनकी भूमिका, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति और आपातकाल, देश में बढ़ती सांप्रदायिकता, गुजरात के दंगे, परमाणु की राजनीति जैसे तमाम विषयों पर सूत्रों में चर्चा की थी। उनके देहावसान और उस भेंट पर विचार करते हुए पुपुल जयकर और जे. कृष्णमूर्ति के मध्य मृत्यु को लेकर हुए संवाद की स्मृति हो आयी। जे. कृष्णमूर्ति कहते हैं, ''अंत क्या है—सातत्य का अंत? किसी विशिष्ट विचार का, विशिष्ट ध्येय का, किसी विशिष्ट कामना के सातत्य का अंत—ये ही तो जीवन को निरंतरता प्रदान करते हैं। जन्म एवं मृत्यु—उस सुदीर्घ अवधि में किसी नदी जैसी प्रगाढ़ निरंतरता होती है। जल की विशाल मात्रा—गंगा, राइन या एमेजान की तरह—किसी नदी को प्रभावशाली बना देती है, और हम नदी की सुंदरता नहीं देख पाते। आप समझ सकते हैं कि हम जीवन रूपी विशाल सरिता की सतह पर रहते हैं, और इसका सौन्दर्य इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हम सदैव इसकी सतह पर ही बने रहते हैं और अंत का अर्थ है, इस सतह का मिटना।

हमें भी अब नारायण भाई के जीवन की गहराई को देखने का अभ्यास करना होगा। वे कहते थे, ''दंगे, युद्ध और परमाणु तीनों उपेक्षित प्रजा के दुश्मन हैं।'' हम जब भी इन तीनों पर गंभीरता से विचार करेंगे तो साफ नजर आ जाएगा कि वे कितनी बारीकी से स्थितियों का अध्ययन कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। दंगे और युद्ध के संदर्भ में तो उपरोक्त दृष्टिकोण से चिन्तन हुआ भी है लेकिन परमाणु को उपेक्षित विरोधी स्थापित कर पाना सहज नहीं था। आज जब हम विकसित राष्ट्रों द्वारा अपने यहां परमाणु ऊर्जा उत्पादन को कम या समाप्त करने की पहल के समानांतर इस तकनीक को भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को बेचने के लिए मची होड़ से उनकी बात समझ में आ जाती है। देश एवं दुनिया में बढ़ती धार्मिक कट्टरता, साम्प्रदायिकता, असमानता और भ्रष्टाचार की जड़ में पहुंचने में उनका यह मत हमारी सहायता कर सकता है। उनका मानना था, ''आदर्श एवं आचरण के मध्य बड़ी खाई पैदा हो गयी है। दूसरा कारण यह है कि हम लोगों ने धर्मों को धर्म गुरुओं, मौलाना-मौलवियों का विषय मान लिया है। और आपके हमारे चिन्तन, मनन और आचरण का विषय नहीं माना है। एक और कारण यह भी है कि सत्य, प्रेम, सादगी आदि जो सामाजिक मूल्य होना चाहिए, उन्हें हम व्यक्तिगत गुण ही मानते हैं। फलां आदमी ईमानदार है, फलां आदमी बड़ा उदार है, फलां संयमी, इसी प्रकार देखते हैं।'' शायद इसी मनोवृत्ति का परिणाम है कि हमारे देश में व्यापारी की बेईमानी को बेईमानी नहीं माना जाता और सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता प्रदान कर दी गयी है। कालेधन से शिक्षा संस्थान खुल गए हैं और हम अत्यंत गर्व के साथ अपने बच्चों को उनमें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं।

आजादी की पचासवीं वर्षगांठ पर उन्होंने कहा था, ''ग्रामों से जड़ता और नगरों से स्वार्थ तथा दोनों से मोह, आलस्य व भय को दूर करने के लिए शक्ति लगायेंगे।'' इस हेतु उन्होंने भरसक प्रयत्न किया भी। गुजरात दंगों के बाद उपजी हिंसा के खिलाफ उन्होंने तीव्र संघर्ष किया भी। हिंसा को लेकर उनकी स्थापना आज सच साबित होती जा रही है। दूसरे धर्मों के धर्मस्थलों और धर्मावलम्बियों को नुकसान पहुंचाना आज आम होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एक बुजुर्ग नन के साथ हुआ सामूहिक बलात्कार हमें आइना दिखा रहा है कि अभी भी समय है हम अपने विचारों में परिवर्तन लायें। नारायण भाई तो स्पष्ट तौर पर मानते थे, ''पहला काम पड़ोसी के धर्म का जिज्ञासापूर्ण, श्रद्धापूर्वक एवं आदरपूर्वक अध्ययन करना।'' परंतु हमारी समस्या तो यह है कि हम तो अपने ही धर्म का निष्ठापूर्वक अध्ययन नहीं करते। यदि ऐसा कर पाते तो शायद स्थितियां इतनी शर्मनाक नहीं होतीं। दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रचारक भारत के कथित पतन और शोषण के लिए कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति के मूलमंत्र 'अहिंसा' को दोषी ठहराते हैं। लेकिन इस विषय पर नारायण भाई ने लिखा है, ''हममें से बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ था कि एक आध्यात्मिक देश का शोषण क्यों हुआ? क्योंकि इस देश को निःशस्त्र किया गया। गांधी कहता है हमारा देश नामर्द हुआ है। आध्यात्मिकता के लिए सबसे बड़ी बाधा डरपोकपन में है। आज देश में चारों तरफ भय का वातावरण है। इसलिए देश पर आध्यात्मिक संकट छाया हुआ है।'' अपने आसपास नजर दौड़ा कर देखें तो हम पाते हैं कि नारायण भाई एकदम ठीक थे।

तुलसीदास जी ने कहा है,

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।
तुलसी दया न छेड़िये, जब तक घट में प्राण।।

नारायण भाई अंत तक व्यक्तित्व समाज के उत्थान में जुटे रहे और गांधी के मूल्यों को नये मायनों में अर्थवान व व्यावहारिक भी बनाते गये। उनका बिछुड़ना शोक से ज्यादा जिम्मेदारी का अहसास कराता है और शायद यही उनके जीवन की सार्थकता प्रदान कराता है और जे. कृष्णमूर्ति के शब्दों में कहें तो यही उनकी मृत्यु का सौन्दर्य है। ❑

विश्व स्वास्थ्य दिवस : 7 अप्रैल

विद्यालय : शिक्षा नहीं बीमारी का ठिकाना

❑ अमिताभ पाण्डेय

भारत के विद्यालयों में स्थापित केंटीन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। इसकी अनेक वजहें हैं। इस तरह की लापरवाही न केवल बच्चों को बीमार कर रही है, बल्कि वह उनके मानस पर जीवनभर स्वच्छता के प्रति अनाग्रह बना रही है। आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालयों के केंटीन बच्चों के लिए आदर्श बने एवं वे जीवनभर स्वच्छ व पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक बने रहे सकें। **–कार्य. सं.**

अपने बच्चों की सेहत को लेकर चिन्ता करने वाले माता-पिता यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि विद्यालयों की कैंटीन भी बच्चों को बीमार कर सकती हैं। इसका कारण कैंटीन में साफ-सफाई का पर्याप्त प्रबंध न होना और उसमें बिकने वाले हानिकारक खाद्य पदार्थ हैं। कैंटीन में बच्चों को खाने-पीने के लिए जो खाद्य-पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। इन पदार्थों को बनाने वाले स्वच्छता, शुद्धता संबंधी कितने नियमों का पालन करते हैं, इसकी भी कोई गारंटी देने वाला नहीं है। कैंटीन के साफ-सुथरे वातावरण की चिन्ता भी विद्यालय प्रबंधन से जुड़े लोग कम ही करते हैं। इससे जुड़े अधिकांश शीर्ष अधिकारियों ने कितनी बार कैंटीन का निरीक्षण किया, इसका सीधा और स्पष्ट जवाब बहुत कम विद्यालयों से ही मिल सकेगा। इससे जाहिर होता है कि प्रबंधन कैंटीन की साफ-सफाई और वहां बिकने वाले खाद्य-पेय पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर नहीं है।

सरकार ने जिन विभागों के पास खाद्य-पेय पदार्थों की गुणवत्ता की जांच का जिम्मा है वे भी कैंटीन की आकस्मिक जांच नहीं करते हैं। निजी विद्यालयों से लेकर सरकारी विद्यालयों तक में कैंटीन का हाल खराब है। शायद यही कारण है कि मध्याह्न भोजन को खाकर बच्चों के बीमार हो जाने की शिकायतें अकसर मिलती रहने के बाद भी कैंटीन की साफ-सफाई और वहां बनने बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सरकारी स्तर पर नियमित प्रभावी कार्यवाही अब तक शुरू नहीं हो सकी है। यदि इस संबंध में नियम कानून बनाये भी गये हैं तो उनका क्रियान्वयन देखने को नहीं मिल रहा है।

हाल ही में दिल्ली के लगभग 250 सरकारी एवं निजी विद्यालयों की कैंटीन और वहां बिकने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों को लेकर एक अध्ययन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के खाद्य तकनीक विभाग द्वारा भास्कराचार्य महाविद्यालय के सहयोग से कराये गये इस अध्ययन के बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई वह कैंटीनों की अव्यवस्था व गंदगी का खुलासा करती है।

इस रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ कि कैंटीन में तैयार होने वाले खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं है। वहां का पानी भी अशुद्ध है व पीने योग्य नहीं है। अशुद्ध पानी के सेवन से बच्चों के पेट तक पहुंचने वाले हानिकारक जीवाणु बच्चों को उल्टी-दस्त सहित अन्य बीमारियों का शिकार बना रहे हैं। कैंटीन में तैयार होने वाला खाना जो लोग बनाते हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि खाने की चीजों को स्वच्छ और गुणवत्ता के साथ कैसे तैयार किया जाये। सब्जियों को सही तरीके से धोना, जिस बर्तन में खाना तैयार किया जाना है उसको गंदगी मुक्त रखने का काम भी प्रतिदिन जल्दबाजी में ही किया जाता है।

इस अध्ययन के अनुसार 250 विद्यालयों में से 40 प्रतिशत पाठशालाओं में खाना बनाने के बर्तन साफ नहीं मिले। 17 प्रतिशत विद्यालयों में कैंटीन के कर्मचारी

अशिक्षित मिले। 29 प्रतिशत शालाओं में खाना बनाने में उपयोग किये जाने वाले चाकू सहित अन्य बर्तन पूरी तरह साफ नहीं मिले। 80 प्रतिशत विद्यालयों की कैंटीनों के कर्मचारी बिना एप्रेन और दस्ताने पहने हुए काम करते मिले। 45 प्रतिशत पाठशालाओं की कैंटीन में तो वहां काम करने वाले कर्मचारी खुद ही खांसी, सर्दी, जुकाम सहित न्य संक्रामक बीमारियों के शिकार पाये गये। 10 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों की कैंटीन में पेयजल स्रोत गंदगीयुक्त वातावरण में पाये गये जहां का पानी शुद्ध नहीं था।

इधर मध्य प्रदेश के विद्यालयों की कैंटीनों का हाल भी ज्यादा अच्छा नहीं है। यदि यहां भी इसी प्रकार कोई अध्ययन किया जाए तो यह तथ्य सामने आयेगा कि कैंटीन की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस मामले में निजी विद्यालयों का हाल भी सरकारी जैसा ही है। विद्यालयों की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं रहती है इसी कारण बच्चे बीमार होते रहते हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालयों में बनने बिकने वाली खाद्य सामग्री पेय पदार्थ गुणवत्तायुक्त हों, कैंटीन साफ-सुथरी, वहां काम करने वाले कर्मचारी प्रशिक्षित हों इसकी जिम्मेदारी सरकार के स्तर पर तय की जाना चाहिए। कैंटीन का आकस्मिक निरीक्षण हो, इसके लिए लगातार अभियान चलाया जाना चाहिए।

पाठशालाओं में बच्चों को पौष्टिक और गुणवत्तायुक्त खाद्य पेय पदार्थ उपलब्ध हो इसके लिए सख्त नियम कानून बनाये जायें। कैंटीन में बिकने वाले हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित की जानी चाहिए। इस संबंध में जंक फूड का जिक्र करना भी जरूरी होगा। जंक फूट का आशय बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्री, केक, सोडा, केंडी, जेम्स और अत्यधिक नमक व शक्कर वाले खाद्य पदार्थों से है जो बच्चों को स्वादिष्ट लगते हैं। स्वाद के चक्कर में बच्चे अपने स्वास्थ्य का कितना नुकसान करते हैं, इसका उन्हें पता नहीं होता। जंक फूड को चिकित्सकों द्वारा नुकसानदायक बताये जाने के बाद भी विद्यालयों में भी इसकी बिक्री खूब हो रही है। यह बच्चों को बीमार बना रहा है। अब समय आ गया है कि बच्चों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में पाठशालाओं में बताया जाये और इसे कैंटीन में मिलने बिकने पर रोक लगायी जाये।

यहां यह बताना भी जरूरी होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी जंक फूड को बच्चों के लिए नुकसानदेह बताया है। संगठन ने वर्ष 2011 में एक अध्ययन रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए विद्यालयों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। इस निर्देश पर भारत में अब तक अमल नहीं हो सका है, जबकि दुनिया अनेक देशों के विद्यालय जंक फूट को कैंटीन से बाहर कर चुके हैं। ब्रिटेन में तो वर्ष 2005 से ही पाठशालाओं में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वर्ष 2010 में संयुक्त अरब अमीरात ने भी जंक फूड की बिक्री पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, मेक्सिको, स्कॉटलैंड सहित अनेक देशों ने जंक फूड को विद्यालयों में बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका में भी विद्यालयों में जंक फूड को नहीं बेचा जा सकता है। भारत के विद्यालयों में भी जंक फूड की बिक्री बंद किये जाने पर अभी विचार हो रहा है। इसकी बिक्री तत्काल बंद किये जाने के आदेश क्यों नहीं किये जा रहे हैं? क्या हमारे देश की सरकार को बच्चों के स्वाथ्य की ज्यादा चिन्ता नहीं है? देश को बीमार नहीं स्वस्थ बच्चों की जरूरत है क्योंकि स्वस्थ और शिक्षित बच्चे ही देश का भविष्य है। इससे होने वाले नुकसान से बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं समाज की भी है। हम अपने बच्चों को जंक फूड से होने वाले नुकसान बतायें तो उसका असर भी अवश्य ही देखने को मिलेगा। सरकार और समाज की ओर से इसके लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाये जाने की भी जरूरत है। ❑

संपादक के नाम पत्र

प्रिय भाई अशोक मोती जी,

सप्रेम जयजगत!

कल मैंने पुराने सर्वोदय जगत का अंक 'प्रेमचंद का साहित्य : गांव का आईना'... आवरण शीर्षक तथा आपका लिखा संपादकीय पढ़ा, जो गांधी और प्रेमचंद के साहित्य पर आपकी गहरी समझ का शानदार नमूना है। यह पूरा का पूरा अंक मननीय-सामयिक और लोकसेवकों के लिए मार्गदर्शक भी है। मेरा आपसे रू-ब-रू परिचय तो सर्व सेवा संघ परिसर में एक रात ठहरने पर हुआ था, जब मैं नशाबंदी सम्मेलन में भाग लेने पहुंचा था। अशोक भारतजी और शिवविजय भाई से मेरा पूर्व परिचय है, आपसे ज्यादा परिचय नहीं था। चंद घंटों आपको लेखन कार्य में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज आपकी लेखनी का प्रकाश पाकर आपकी साहित्य साधना का परिचय मिला। आनन्द हुआ। आपको साधुवाद देते हुए आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सर्वोदय जगत को ऊर्ध्व दिशा देकर यशस्वी बनायेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इसकी सदस्यता की वृद्धि में भी मेरी सक्रियता रहेगी।

–सुरेशभाई 'सर्वोदयी'

गांधी आश्रम, छतरपुर

आवश्यक सूचना

'सर्वोदय जगत'

के सभी सुहृद पाठकों, ग्राहकों, लेखकों व शुभ-चिन्तकों को सूचित करना है कि सर्व सेवा संघ-प्रकाशन की वेबसाइट

www.sssprakashan.com

पर 'सर्वोदय जगत' का प्रत्येक अंक उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृपया वेबसाइट देखें। –सं.

ईबोला विषाणु से नष्ट होती अर्थव्यवस्थाएं

❑ किंग्सले इघोबोर

पश्चिम अफ्रीकी देशें में ईबोला विषाणु ने सिर्फ हजारों मनुष्यों के ही प्राण नहीं लिए बल्कि इन देशों द्वारा वर्षों से किए गए आर्थिक विकास पर भी पानी फेर दिया है। विदेशी कर्मचारियों और निवेश के पलायन में स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं। किसी महामारी के दुष्परिणाम कितने दीर्घकालिक और घातक हो सकते हैं उन्हें पश्चिमी अफ्रीका के देशों की वर्तमान स्थिति के अध्ययन से भलीभांति समझा जा सकता है। **–का. सं.**

ईबोला विषाणु के सर्वाधिक प्रभावित तीन देशों गुयाना, लाइबेरिया एवं सिएरालीओन में इससे पड़े आर्थिक प्रभाव पूरी तरह से सामने नही आए हैं। अभी भी आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और यह निश्चित नहीं है कि इस विषाणु पर कब काबू पाया जा सकेगा। ईबोला के फैलने के पहले ही यह तीनों पश्चिमी अफ्रीकी देश दुनिया के निर्धनतम देशों में थे। सन 2014 के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का मानव विकास सूचकांक जो कि आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता के आधार पर देशों की रेकिंग तय करता है ने कुल 187 देशों में से सिएरालिओन को 183वें, गुयाना को 179 और लाइबेरिया को 175वें, स्थान पर रखता है। अब यह डर व्यक्त किया जा रहा है कि इन देशों में जो थोड़ा बहुत सुधार हो रहा था, ईबोला उसे भी हजम कर जाएगा।

विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2014 में ईबोला महामारी के प्रभावों को आंकलन करते हुए दो संभाव्य स्थितियों पर प्रकाश डाला है। पहली है ''न्यून ईबोला'' यह तब संभव है कि इस महामारी को सन 2015 की शुरुआत में रोक दिया जाए। इस दौरान करीब 20 हजार मामले सामने आ सकते हैं और देशों की आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आ सकता है। दूसरी स्थिति है, ''उच्च या असंयत ईबोला'' यह तब घटित होगा जब इसको जल्दी सीमित नहीं किया जा सकेगा और संबंधित मामले 2 लाख तक पहुंच सकते हैं। उच्च ईबोला की स्थिति में पश्चिम अफ्रीका के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 32 अरब डालर की हानि और न्यून ईबोला की स्थिति में इस क्षेत्र की जीडीपी में 4 अरब डालर तक की कमी आ सकती है। न्यून ईबोला की स्थिति में गुयाना की जीडीपी 4.5 प्रतिशत से घटकर 2.4 प्रतिशत, लाइबेरिया की 5.9 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत, एवं सिएरालिओन की 11.3 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत पर आ सकती है। स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर रही है। सिएरालीओन के कृषि मंत्री का कहना है कि ''ईबोला की वजह से सिएरालीओन की अर्थव्यवस्था में 30 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।''

यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार ईबोला की वजह से सिएरालीओन पर पड़ रहे आर्थिक व सामाजिक प्रभावों के फलस्वरूप देश ने युद्ध के बाद जो भी प्रगति की थी उस पर पानी पड़ सकता है। वर्तमान में यहां पर खाद्य सामग्री की कमी हो गई और स्थानीय मुद्रा लीओन का भी तेजी से अवमूल्यन हो रहा है। महामारी फैलने के पश्चात लाइबेरिया में चावल व अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। सरकार द्वारा स्थानीय ''बुममीट'' खाने के खिलाफ चेतावनी देने के पश्चात मछली के दाम में भी असाधारण वृद्धि हुई है। इतना ही साफ सफाई करके प्लास्टिक उत्पाद भी मंहगे हो गए हैं। बुरी तरह प्रभावित देशों से विदेशी निवेशक भी पलायन कर रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े इस्पात निर्माता आर्सेलेन मित्तल ने अपने विशेषज्ञों को लाइबेरिया से वापस बुला लिया है। सिएरालीओन में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनी लंदन माइनिंग ने भी अपने कर्मचारियों को सिएरालीओन से वापस बुला लिया है। विश्व मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ष 2013 में सिएरालीओन की वृद्धि 20 प्रतिशत आंकी थी जो अब घटकर महज 5.5 प्रतिशत पर आ गई है। कर्मचारियों की सुरक्षा से डरकर अनेक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन भी इस क्षेत्र से किनारा कर गए हैं।

घाना में अभी तक ईबोला का एक भी प्रमाणित मामला सामने न आने के बावजूद खनन कंपनियां अपने कर्मचारियों को देश से बाहर भेज रही है। घाना के प्रकाशन ''बिजनेस डे'' का कहना है घाना की राजधानी अक्करा की बड़ी होटलें हमेशा पूरी तरह से भरी रहती थीं अब वहां मुश्किल से 30 प्रतिशत लोग आते हैं। घाना व कोटे डी आईवोरीजा दुनिया का 60 प्रतिशत कोका का उत्पादन करते थे अब ईबोला की वजह से दोनों ही अत्यधिक संकट में है। पिछले दिनों कोका के वैश्विक मूल्यों में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ईबोला विषाणु से अधोसंरचना परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। उदाहरण के लिए विश्व बैंक की अत्यंत महत्वाकांक्षी लाईबेरिया को सड़क मार्ग से गुयाना से जोड़ने वाली सड़क परियोजना स्थगित कर दी गई है और इसके परियोजना

स्थगित कर दी गई है और इसके ठेकेदार चीन के हेनान अंतर्राष्ट्रीय निगम समूह ने अपने कर्मचारियों को वहां से वापस बुला लिया है। इसके अतिरिक्त सीमा के आर-पार होने वाला व्यापार घटकर महज 12 प्रतिशत रह गया है। एक व्यापारी का कहना है, ''हम नाइजीरिया से सामान आयात कर यहां (सिएरालीओन) में बेचते थे, अब हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सभी विमान सेवाएं स्थगित हो गई हैं। इस क्षेत्र के एक अन्य देश गांबिया की आमदनी का 16 प्रतिशत पर्यटन से आता था। अब उसमें 65 प्रतिशत की कमी आ गई है। यही स्थिति सेनेगल की भी होती जा रही है।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि खतरे की घंटी बज चुकी है परंतु कई विकास विशेषज्ञों का कहना है कि तत्काल घबड़ाहट की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्व बैंक ने ईबोला के आर्थिक प्रभावों से निपटने हेतु राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है। विश्व मुद्रा कोष ईबोला प्रभावित देशों को 13 करोड़ डॉलर की सहायता उपलब्ध करा रहा है। अमेरिका भी ऋण में छूट के रूप में 10 करोड़ डॉलर तक धन उपलब्ध कराने हेतु उत्सुक है।

नवंबर 2014 के मध्य आस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन शहर में हुए जी—20 देशों के सम्मेलन में विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने दानदाताओं से राशि बढ़ाने का अनुरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शुरुआत में ईबोला से निपटने हेतु एक अरब डालर की मांग की थी, इसमें से 80 करोड़ डालर प्राप्त भी हो चुके हैं। नए अनुमानों के हिसाब से अब 1.5 अरब डालर की आवश्यकता पड़ेगी। दुनियाभर में इस महामारी से निपटने के प्रयत्न तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है कि ईबोला से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्थाओं को पुनः पटरी पर लाने की समझ भी विकसित हो। *(सप्रेस)*

और अंततः दो शांतिदूतों का जाना

'चुनी काका' क्या गये 'बाबू भाई' भी साथ हो लिए

❑ अशोक मोती

कुछ ही माह पूर्व की बात है 'सर्वोदय जगत' का एक महान अहिंसक योद्धा चुनीभाई वैद्य (चुनी काका) को काल ने हमसे क्या छीना और हम अपने दुख से बाहर निकल भी नहीं पाये थे कि हमारे बीच से उसने एक

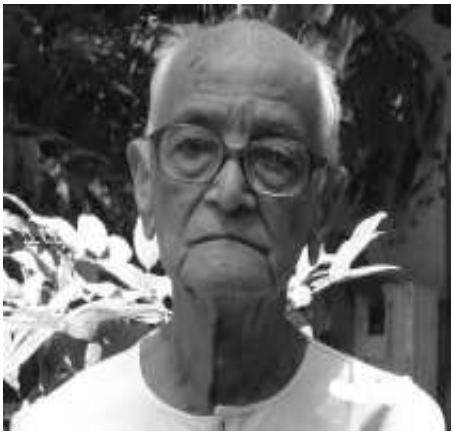

दूसरा महान योद्धा बाबू भाई (नारायण भाई देसाई) को भी हमसे छीन लिया।

काका की बेटी नीता बहन ने मुझे बताया कि काका जब स्वयं बहुत सख्त बीमार थे, पता नहीं कैसे बाबू भाई यानी नारायण भाई देसाई के अस्वस्थ होने की बात उनके कान में पड़ गयी थी। तभी वे काफी बेचैन हो उठे थे। लोगों से बार-बार पूछते कि मुझे सही-सही क्यों नहीं बताया जा रहा है। वे कहते कि नारायण भाई से मिलने जाना चाहता हूं या कोई उसे ही यहां बुला ले। दोनों शांति सैनिकों के बीच के प्रेम को हम बड़ी सहजता से समझ सकते हैं। पता नहीं एक-दूसरे से मिलने की आतुरता का अर्थ क्या था लेकिन बहुत ही कम समय में दोनों योद्धा स्वर्गलोक में अब एक साथ हैं।

यह हमारे लिए सुखद संयोग रहा कि काका जब अस्वस्थ चल रहे थे, हम गांधीजनों ने देश में उनकी पुस्तक 'गांधी की हत्या : क्या सच, क्या झूठ' को एक सशक्त हथियार के रूप में अपनाने का मन बना लिया था। सर्व सेवा संघ ने उस पुस्तक को अपने मुख पत्र 'सर्वोदय जगत' में न केवल क्रमशः प्रकाशित किया बल्कि इस पुस्तक को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भारी संख्या में प्रकाशित कर जन-जन तक पहुंचाने का

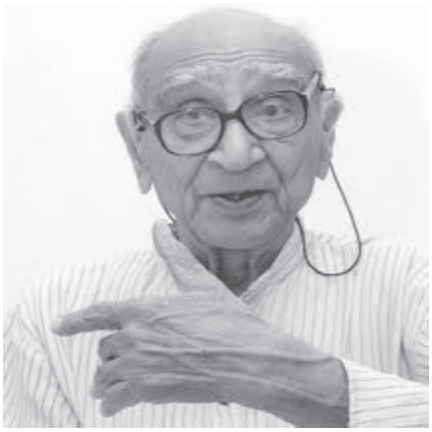

संकल्प किया और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।

निःसंदेह काका और बाबू भाई का स्मरण हम गांधीजनों को भारी ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। हम जब भी देश की आजादी और अहिंसक क्रांति के जनक गांधी, विनोबा, जेपी के क्रमशः स्वराज्य, भूदान और संपूर्ण क्रांति को सोचगें तो हमें काका और बाबूभाई दोनों का एक शांति सैनिक और मार्गदर्शक के रूप में स्मरण होता रहेगा।

इन दोनों महान विभूतियों को कोटिशः नमन और विनम्र श्रद्धांजलि! ❑

कविता

बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं

❑ नारायण देसाई

बुद्ध जयंती के दिन हुए पोखरण अणु विस्फोट से आहत नारायण भाई में भारतीय संस्कृति की मूल भावना करुणा में अगाध आस्था थी। गांधी की कर्मभूमि में हुए इस दूसरे परमाणु विस्फोट ने उन्हें विचलित तो किया लेकिन उनकी अंतर्रात्मा इस विश्वास से भरी हुई थी कि अंततः जीत उदारता की होगी। उनके जाने से निर्मित शून्य को संभवतः उनकी यह कविता थोड़ा-बहुत भर पायेगा। –कार्य. सं.

पोखरण के टीले पर बैठ
तथागत बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं।
ढाई हजार वर्षों से वे गा रहे हैं मंत्र
करुणा के, समत्व के, प्रेम के।
उनकी आंखों के तले—
शक आये, यवन आये, आये हूण
पठान आये, गूजर आये, आये मुगलों के झुण्ड
गोरी और खिलजी भी आये।
जो आये सो इस करुणा के
महासागर में लीन हो एक बन गये,
दुश्मन थे जो दोस्त बन गये।
इनकी वाणी में, इनके गीतों में
इनके स्थापत्य में, इनकी कला में
इनके दर्शन में, उनकी भावलीला में
समत्व और प्रेम का संगीत बज उठा।
लुटेरे आये और गये—
उनका नामोंनिशान न रहा
इस करुणामयी संस्कृति में।
सूफी आये और आये संत
लोक हृदय में प्रवेश कर उन्होंने
स्थाई स्थान पाया लोक-गंग में।
फिरंगी, फ्रान्सिसी और आये अंग्रेज।
जो गैर हो कर रहे, वे उल्टे पांव गये।
लेकिन जाते जाते छोड़ गये
अपने स्वभाव को।
अंग्रेज गये और अंग्रेजियत रही।
वह रही रहन सहन में, भाषा में, शिक्षा में
और अब प्रकट हो रही है शस्त्रों की बुत-पूजा में।
फिर एक कवि आया
जिसने विश्व-प्रेम के गाये गीत।
एक दार्शनिक आया जितने मनुष्यता को
ऊपर उठाना चाहा देवत्व की ओर।
और एक महात्मा आया जिसने
अंग्रेजों को चाहा,
लेकिन अंग्रेजियत को मिटाना चाहा
जिसने अपने शरीर की आहुति दी
हमारी संस्कृति को अमर रखने।
और आज उस तथागत बुद्ध की
मुस्कुराती आंखों के तले
भले ही एक नहीं, षडरिपु की तरह
छः छः धमाके होते हों
भले ही ये धमाके हमारी आंखों में धूल झोंकते हों
लेकिन प्रेम की शक्ति अमर है,
उसके आगे द्वेष, घृणा, मतांधता
और हिंसा की शक्ति टिक नहीं सकती।
प्रेम की जीत होगी, एकता की जीत होगी—
जीत होगी उदारता की,
जीत होगी दरियादिल की।
तब एक बार फिर शंख बज उठेगा
उस संस्कृति का जो समन्वयकारी है
जिसने द्वेष के आगे प्रेम की कभी
हार नहीं मानी,
जिसने वैर की आंधियों के बीच भी सदा,
तथागत बुद्ध को मुस्कुराते पाया है। ❑

VSI-(E) 003 For the Year - 2015 to 2017 सर्वोदय जगत : 1-15 अप्रैल, 2015 Regd.No. R.N.I.35495/78

जंतर मंतर नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय उपवास सम्पन्न

ससेसं के अध्यक्ष महादेव विद्रोही ने गांधी के अपमान को मानवता और राष्ट्र का अपमान कहा

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान के खिलाफ और देश में साम्प्रदायिक सदभावना के निर्माण के लिए सर्व सेवा संघ (अखिल भारत सर्वोदय मंडल) और कतिपय सहयोगी सहमना संगठनों ने दो दिवसीय उपवास व सत्याग्रह का शुभारम्भ 25 मार्च को सुबह राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना कर की। सर्व सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने राजघाट से शांति मार्च करते हुए जंतर मंतर पहुंचे और अपना उपवास और सत्याग्रह प्रारम्भ किया। जंतर मंतर पर मीडिया को संबोधित करते हुए सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष महादेव विद्रोही ने कहा पिछले कुछ समय से कट्टरपंथी शक्तियां अपना सिर उठा रही हैं। कुछ लोग राष्ट्रपिता बापू के हत्यारे का महिमा मंडन कर रहे हैं। यहां तक कि हत्यारे की मंदिर बनाने की भी योजना बना रहे हैं और गांधी के विचारों पर लगातार हमले कर रहे हैं। राष्ट्रपिता के हत्यारे को न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी। अब उसका महिमा मंडन करना न्यायपालिका का अपमान है, गांधी का अपमान, मानवता का अपमान है और राष्ट्र का अपमान है। महादेव विद्रोही ने बताया कि इस संबंध में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा मुम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उपराष्ट्रपति ने हमारे पत्र को केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भेजकर उस पर कार्रवाई करने को कहा है लेकिन गृह मंत्रालय ने कोई कार्रवाई की है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं दी गयी है। मुम्बई उच्च न्यायालय ने हमारे आवेदन पर आगे की कार्रवाई के लिए उसे नागपुर उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया है।

विद्रोही ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बाहरी गुलामी के साथ इसकी अंदरूनी गुलामी यथा जातिवाद, ऊंच-नीच, छुआछूत, आर्थिक गैर-बराबरी, साम्प्रदायिक धार्मिक विद्वेष, बंटवारे से उपजी नफरत और हिंसा से भी आजाद कराना चाहते थे। स्वराज्य बनाने के बाद सुराज के आंदोलन के लिए सवा सौ वर्ष की उम्र तक जीना चाहते थे लेकिन उनकी

हत्या 30 जनवरी 1948 को ही कर दी गयी। इससे पहले भी गांधी की हत्या की कई कोशिशें हो चुकी थी और गांधी के हत्यारे इस साजिश में लम्बे समय से लगे हुए थे।

26 मार्च के समापन भाषण में सर्व सेवा संघ के कई लोगों ने अपने विचार रखे। सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष भाई महादेव विद्रोही ने सत्याग्रहियों को संबोधित करते हुए कहा कि उपवास के इस पवित्र कार्य को हमने एक दिन के फैशन उपवास के रूप में नहीं बल्कि दो दिवसीय पवित्र उपवास के रूप में अपनाया है और सिर्फ पानी के सहारे गांधीजन उपवास पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ लोगों द्वारा गांधी के विरोध को अत्यन्त दुःखद और आश्चर्यजनक बताते हुए कहा कि ब्रिटेन की संसद के प्रांगण में गांधी की प्रतिमा उन लोगों द्वारा लगायी गयी जिनके विरुद्ध गांधी ने जीवनभर लड़ाई लड़ी। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि पूरे विश्व में गांधी आज भी प्रासंगिक हैं और दुनिया के दुख का अंत गांधी के बताये अहिंसक रास्ते से ही संभव है। गांधी का विरोध करने वाली मानसिकता जिसका प्रतिनिधित्व गोडसे करता था, उनके पिछलग्गुओं को भगवान सद्बुद्धि दे, यह मेरी प्रार्थना है।

लेकिन गांधीजनों को भी संगठित होने की जरूरत है क्योंकि लोग पूछते हैं कि गांधी वाले चुप क्यों हैं। हम समझते हैं कि इस उपवास ने पूरी दुनिया और अपने देशवासियों का ध्यान खींचा है, इस उपवास में 20 राज्यों के लोग शामिल हैं। कुल 89 लोग उपवास में हैं और इस आयोजन में कई सहमना संगठन हमारे साथ है। यहां की आवाज पूरे देश की आवाज है और यह कार्यक्रम पूरे देश का है सिर्फ सर्व सेवा संघ का नहीं है। जंतर मंतर पर यह हमारा पहला उपवास कार्यक्रम है। इसलिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी संगठनों एवं साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

इस अवसर पर सर्वोदय नेता और भारत जोड़ो आंदोलन के प्रणेता डॉ. एस. एन. सुब्बराव ने देश के विभिन्न राज्यों से आये युवा-युवतियों की सहभागिता से भारत जोड़ो नामक अत्यन्त मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। बहन आशा बोथा द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना के साथ दो दिवसीय उपवास कार्यक्रम का समापन हुआ।

कार्यक्रम में भाग लेने वालों में प्रमुख थे सर्व सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुगन बरंठ, राधा भट्ट, डॉ. रामजी सिंह, भवानीशंकर कुसुम, सर्वोदय समाज के संयोजक आदित्य पटनायक, अरविन्द अंजुम, ई. पी. मेनन, महामंत्री शेख हुसैन, ट्रस्टी टीआरएन प्रभु, जीवीवीएस प्रसाद, विजय कुमार, अशोक भारत, अवधेश कुमार, रजनीश कुमार, शिवविजय सिंह, रमण कुमार, चंदन पाल, आशा बोथरा, पुतुल सहित विभिन्न प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्षगण। इस अवसर पर अशोक मोती, आदित्य पटनायक, विजय भाई, आशा बोथरा, पुतुल आदि साथियों ने मिलकर कई क्रांति गीत गाये। **–कार्य. सं.**

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए महामंत्री, शेख हुसैन द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा सुरभि प्रिन्टर्स, इंडियन प्रेस कॉलोनी, मलदहिया वाराणसी से मुद्रित। संपादक : बिमल कुमार, कार्य.संपादक : अशोक मोती। छपी प्रतियाँ : 1450